

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्र. ई-5-805-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएस, अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक, पाँच दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) उपरोक्त एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश पर आप बिना शासन अनुमति/स्वीकृति के प्रस्थित हो गए. अतः आदेशानुसार परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाए.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद सिंह बघेल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को इस विभाग के पत्र क्रमांक 404-401-2011-5-एक,

दिनांक 1 फरवरी 2011 द्वारा दिनांक 24 से 25 जनवरी 2011 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त करते हुए, अब उन्हें 24 जनवरी 2011 से 2 फरवरी 2011 तक, दस दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) श्री प्रभांशु कमल के अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र. ई-5-395-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2011 द्वारा दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक, आठ दिन एक्स-इंडिया/अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री एम. एम. उपाध्याय की अवकाश की अवधि में श्री मनोज गोयल, भाप्रसे (83), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्र. ई-5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, चौतीस दिन के स्वीकृत एक्स-इंडिया/अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते

हुये, अब उन्हें दिनांक 7 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, सत्ताईस दिन का एक्स-इंडिया/अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 फरवरी एवं 6 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी।

क्र. ई-5-757-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2011 द्वारा श्री अरूण कोचर, आयएएस., आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 फरवरी 2011 एवं 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाकर उक्त अवकाश अवधि में प्रभार श्री संजीव कुमार झा, आयएएस., संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास को सौंपा गया है।

(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री संजीव कुमार झा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री अरूण कोचर की अवकाश अवधि में श्री अनंत सेठी, चीफ पायलट एवं अतिरिक्त संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, विमानन का प्रभार सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. ई-5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 26 फरवरी 2011 से 1 मार्च 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश की अवधि में श्री मनीष श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष श्रीवास्तव, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-792-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएस, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 एवं 6 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-454-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएस, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 29 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राघवेंद्र सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेंद्र सिंह, कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-60-2011-5-एक.—श्री संजय कुमार सिंह, भाप्रसे (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. ई-5-460-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक श्रीवास्तव, आयएस, पर्यावरण, आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण, आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-456-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती विजया श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-160-आयएस-लीव-5-एक.—श्री दिलीप मेहरा, आयएस, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 14 से 17 फरवरी 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई-5-786-आयएस-लीव-5-एक.—श्री व्ही. ए. कुरील, आयएस, कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 21 से 26 फरवरी 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी तथा दिनांक 27 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री व्ही. ए. कुरील की अवकाश की अवधि में श्री शिवनारायण सिंह चौहान, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. ए. कुरील को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री व्ही. ए. कुरील द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. ए. कुरील को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री यदि व्ही. ए. कुरील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-471-आयएस-लीव-5-एक.—श्री सुदेश कुमार, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 21 फरवरी से 1 मार्च 2011 तक, नौ दिन लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सुदेश कुमार की अवकाश की अवधि में श्रीमती कंचन जैन, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुदेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुदेश कुमार द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुदेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुदेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ-19-59-2010-एक-चार.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का निम्नानुसार गठन करता है:—

- |   |                     |
|---|---------------------|
| (1) डॉ. हर्ष वर्धन तिवारी                     | —सभापति (चेयरपर्सन) |
| पूर्व कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल. |                     |
| (2) सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग.         | —सदस्य              |
| (3) सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण. | —सदस्य              |
| (4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा                   | —सदस्य              |
| (5) संचालक, तकनीकी शिक्षा                     | —सदस्य              |

(2) यह समिति उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगी, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा मार्ग दर्शन करेगी और प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी।

(3) समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2013 तक होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रदीप खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2011

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्र. एफ ए-5-06-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एन. के. गुप्ता साहब, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 दि.	21-01-2011 से 31-1-2011 तक.	11 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ ए-5-12-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे. के. माहेश्वरी साहब, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 दि.	1-12-2010 से 13-12-2010 तक	13 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश.	—

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्र. एफ ए-5-05-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अभय एम. नाइक साहब, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 दि.	6-12-2010 से 7-12-2010 तक.	02 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आएएस., कलेक्टर, जिला रीवा को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 19 से 30 जनवरी 2011 तक, बारह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्री जी. पी. श्रीवास्तव को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) श्री जी. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री जी. पी. श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-813-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व तथा ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर 2010 से 16 दिसम्बर 2010 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 दिसम्बर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्र. एफ. 03-54-2010-दो-ए (3)-शुद्धिपत्र.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधन किया जाता है:—

- (1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 03-54-2010-दो-ए (3) के प्रश्नपत्र-लेखा द्वितीय में इन्दौर संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण "श्री विश्वमोहन तिवारी, राजस्व निरीक्षक" के स्थान पर नाम में संशोधन कर "श्री विनयमोहन तिवारी, राजस्व निरीक्षक" पढ़ा जाएं.
- (2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 03-58-2010-दो-ए (3) के प्रश्नपत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया-प्रथम (पुस्तकों सहित) में इन्दौर संभाग से निम्नस्तर से उत्तीर्ण "श्री विजय उपाध्याय, नायब तहसीलदार" के स्थान पर पदनाम में संशोधन कर "श्री विजय उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक" पढ़ा जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 08).—राज्य शासन, सुश्री मधुलिका मुले पुत्री श्री मोरेश्वर राव मुले को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है. उसकी जन्मतिथि 03 जुलाई, 1976 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 19).—राज्य शासन, श्री अरविन्द श्रीवास्तव पुत्र श्री एस.बी.एल. श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करनेके

दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 05 जनवरी, 1976 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 40).—राज्य शासन, श्री रमाकांत भारके पुत्र श्री हरदयाल भारके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 04 नवम्बर, 1975 है.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 13).—राज्य शासन, श्री प्रशांत पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भदोही, उ.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 26 जनवरी, 1985 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 36).—राज्य शासन, श्री संजोग सिंह वाघेला पुत्र श्री चेतन सिंह वाघेला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1978 है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 37).—राज्य शासन, श्रीमती कला भम्मरकर पति श्री दिनेश भम्मरकर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई, 1973 है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 02).—राज्य शासन, श्री विधान माहेश्वरी पुत्र श्री भारत पी. माहेश्वरी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च, 1987 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 22).—राज्य शासन, श्री बृजेश सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कुशीनगर, उ.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त, 1981 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 30).—राज्य शासन, श्री आरिफ खान पुत्र श्री कुदरत खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार, म.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 1980 है.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 01).—राज्य शासन, सुश्री अनु चन्द्रावत पुत्री श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर, म.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 29 मई, 1986 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 03).—राज्य शासन, सुश्री निधि श्रीवास्तव पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, म.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 09 फरवरी, 1978 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 07).—राज्य शासन, सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल पुत्री प्रो. डॉ. मानिक चन्द्र अग्रवाल, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंडला, म.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई, 1975 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 17).—राज्य शासन, श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, पुत्र श्री लाखन सिंह परिहार, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हमीरपुर, उ.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 23 दिसम्बर, 1983 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 26).—राज्य शासन, सुश्री स्नेहा सिंह पुत्री श्री हौसला प्रसाद सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर, म.प्र. है। उसकी जन्मतिथि 03 अगस्त, 1983 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 32).—राज्य शासन, श्री बलवीर सिंह धाकड़, पुत्र श्री हुकुम सिंह धाकड़, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना, म.प्र. है। उसकी जन्मतिथि 30 अक्टूबर, 1977 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 33).—राज्य शासन, श्री धीरज कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड, म.प्र. है। उसकी जन्मतिथि 05 अगस्त, 1982 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक)(मेरिट क्र. 43).—राज्य शासन, श्री जयप्रताप चिड़ार पुत्र श्री बाबूलाल चिड़ार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, म.प्र. है। उसकी जन्मतिथि 13 जनवरी, 1975 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

फा. क्र. 1(बी)25-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिवचरण शर्मा पुत्र पंडित मदनमोहन शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के राजस्व जिले उज्जैन के लिये लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)41-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राघवेंद्र सिंह पुत्र श्री कमलभान सिंह, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)41-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री शिवधनी शुक्ला, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011

फा. क्र. 17(ई) 162-2006-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 5 मई, 2006 द्वारा श्री श्रीकृष्ण माहेश्वरी, अधिवक्ता, निवासी-सांडिया रोड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद को तहसील पिपरिया में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 22 सितम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील पिपरिया में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव।



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. एफ. 11-11-2010-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 20(1)(व) के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक दास, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री आर. रामानुजम, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल एवं श्री अनिल श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रबंध संचालक, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर डॉ. जे.टी. एक्का, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ललित दाहिमा, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

सूचना

क्र. एफ. 3-82-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मुलताई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (1) कलेक्टर, जिला बैतूल (मध्यप्रदेश).
- (2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, मुलताई.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. एफ. 3-82-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-82-बत्तीस-09, दिनांक 22 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd February 2011

NOTICE

No. F.-3-82-2009-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District Betul.
- (2) Assistant Director, Town & Country Planning, District Office, Betul.
- (3) Chief Municipal Officer, Nagar Palika, Multai.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in "Madhya Pradesh Gazette" under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 242-96-ब-2-दो.—श्री आर.एल. बोराना, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर.एल. बोराना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर.एल. बोराना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.एल. बोराना, भापुसे. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

#### सूचना

क्र. एफ. 7-4-09-सात-शा-3.—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शायी तहसीलों को आनावारी के आधार पर सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:—

#### अनुसूची

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)
1	देवास	1. कन्नौद, 2. बागली
2	रतलाम	1. आलोट, 2. ताल, 3. रावटी
3	उज्जैन	1. खाचरौद, 2. महिदपुर
4	इन्दौर	1. इन्दौर, 2. महु, 3. देपालपुर, 4. हातौद
5	कटनी	1. रीठी, 2. विजयराघोगढ़, 3. बहौरीबंद
6	मंडला	1. नारायणगंज
7	छतरपुर	1. चांदला

(1)	(2)	(3)
8	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़, कोतमा
योग . .		<u>8</u> <u>18</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. एफ. 7-4-09-सात-शा-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-7-4-09-सात-शा-3, दिनांक 3 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 25th February 2011

No. F-7-4-09-VII-S-3.—On the basis of standard fixed by the State Government, the State Government, hereby, recognize the drought affected from **Annawari** Tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public:—

#### SCHEDULE

No. (1)	District (2)	Affected Tahsils (3)
1	Dewas	1. Kannod, 2. Bagali
2	Ratlam	1. Alot, 2. Taal, 3. Rawti
3	Ujjain	1. Khachrod, 2. Mahidpur
4	Indore	1. Indore, 2. Mhow, 3. Depalpur, 4. Hatod.
5	Katni	1. Rithi, 2. Vijayraghogarh, 3. Bahoriband.
6	Mandla	1. Narayanganj
7	Chhatarpur	1. Chandala
8	Anuppur	1. Pushprajgarh, 2. Kotma
Total . .	8	<u>18</u>

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ANIL SHRIVASTAV, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

एफ. नं. 425-12-1-2004-सात-(4बी).—राजस्व प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन भोपाल में “प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय” स्थापित/गठित करता है।

2. राजस्व प्रशासन के लिये गठित विभागाध्यक्ष कार्यालय (प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय) के विभागाध्यक्ष, प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पदनाम से संबोधित किये जाएंगे. प्रमुख सचिव, राजस्व को प्रमुख राजस्व आयुक्त घोषित करते हुए राजस्व आयुक्त के पद पर पदस्थापना की व्यवस्था रहेगी.

3. विद्यमान स्थिति में राजस्व आयुक्त के कार्यालय की व्यवस्था पुनर्वास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल में रहेगी. भोपाल में राहत आयुक्त कार्यालय के निर्माणाधीन भवन की पूर्णता के पश्चात् इस भवन में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ-साथ प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भी स्थानांतरित किया जायेगा.

4. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के संचालन के लिये विद्यमान स्थिति में वित्तीय (बजट) व्यवस्था राहत आयुक्त के बजट से की जाएगी. आगामी वित्तीय वर्ष से सचिव, राजस्व को आवंटित मदों के अन्तर्गत उल्लेखित नवीन विभागाध्यक्ष कार्यालय को बजट आवंटन एवं राशि के आहरण-संवितरण की व्यवस्था की जावेगी.

5. प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नानुसार शीर्षों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुसार समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

- (1) तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्थापना सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानांतरण आदि;
- (2) संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थापना;
- (3) नजूल भूमि एवं जारी किए गये स्थायी एवं अस्थायी पट्टों, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण;
- (4) भू-अर्जन, विभिन्न वृहद एवं लघु परियोजनाओं के लिए सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमियों के अर्जन की अनुमति;
- (5) नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के प्रभाव में शासन हित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय/आवंटन;
- (6) कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अधीन प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि;
- (7) निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारण.
- (8) भू-राजस्व एवं उगाही एवं वसूली;
- (9) आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण;
- (10) राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन;
- (11) निस्तार भूमियों तथा चरनोई, बाजार-हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था;
- (12) राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि;
- (13) राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए विभागों/संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना;
- (14) विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों/विनियमों/अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना;
- (15) विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सामान्य शक्तियां.

6. (अ) प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लिये निम्नानुसार नवीन पद निर्मित किये जाते हैं :—

पदनाम (1)	पद संख्या (2)	वेतनमान (3)
(1) राज्य प्रशासनिक सेवा [(अ) प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर कलेक्टर स्तर)-तीन पद (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (संयुक्त कलेक्टर स्तर)-तीन पद]	छः पद	PB रु. 15600—39100+ रु. 7600 ग्रेड पे PB रु. 15600—39100+ रु. 6600 ग्रेड पे
(2) कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-लिपिक	पांच पद	PB रु. 5200—20200+ रु. 2400 ग्रेड पे
(3) प्रोग्रामर	दो पद	PB रु. 9300—34800+ रु. 4200 ग्रेड पे
<u>कुल . . . . .</u>		
<u>तेरह पद</u>		

(ब) उपर्युक्त के अतिरिक्त पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत कुल 32 पदों में से 21 पद प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लिये पुनर्नियोजित (रिडिप्लॉय) किये जाकर इस कार्यालय में अमले की व्यवस्था की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. पिड्डिहा, उपसचिव.

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र. बी-11-06-2010-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 के लिये पटवारी हल्का की अधिसूचना शासन के पत्र क्रमांक बी-11-6-2010-चौदह-2, दिनांक 2 नवम्बर 2010 द्वारा जारी की गई है, जिसमें संलग्न सूची अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मंदसौर जिले की पटवारी हल्का की संशोधित सूची रबी 2010-11

तहसील	रा.नि.म.	प.ह.नं.	प.मु.का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				गेहूं	चना	राई सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मंदसौर	धुधडका 2	58	बड़वन	गेहूं	-	-
		59	भाटरवेसा	-	-	-
		70	हतुनिया	गेहूं	चना	-
		73	कटक्या	गेहूं	चना	-
		74	भोलिया	गेहूं	चना	-
		75	रातीखेडा	गेहूं	चना	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मंदसौर	धुधडका 2	76	जोगीखेडा	गेहूं	चना	राई सरसों
		77	झावला	गेहूं	चना	राई सरसों
		78	सेमलिया	गेहूं	चना	राई सरसों
		79	कुचडोद	गेहूं	चना	राई सरसों
		81	लाउखेडी	गेहूं	चना	-
सीतामऊ	सीतामऊ	56	मेलियाखेडी	गेहूं	चना	राई सरसों
		58	सेदरामाता	गेहूं	चना	राई सरसों
		59	राजनगर	गेहूं	चना	राई सरसों
		60	दलोदा	गेहूं	चना	राई सरसों
		61	ढण्डेडा	गेहूं	चना	राई सरसों
		63	धतुरिया	गेहूं	चना	-
		64	माउखेडा	गेहूं	चना	राई सरसों

### नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. एफ 31-02-2011-सत्ताईस-एक.—माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1360/09 में दिनांक 16 दिसम्बर 2010 को अंतिम आदेश पारित करते हुये अन्य निर्देशों के साथ-साथ डूब क्षेत्र के संबंध में निम्न विशिष्ट निर्देश दिए गये हैं :—

- (1) राज्य सरकार को अपरवेदा बांध में रेडियल गेट लगाने, बांध का स्लूस गेट बंद करने एवं बांध में 310 मीटर तक पानी भरने की अनुमति दी जाती है.
- (2) जब भी नहर नेटवर्क पूर्ण हो जावे, राज्य सरकार बांध को 317 मीटर तक भरने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह कर सकेगी.
- (3) परियोजना की डूब से प्रभावित जो परिवार अब भी डूब क्षेत्र में बसे हैं, उन्हें डूब क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक उद्घोषणा करेगी और शिफ्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठायेगी.

#### अतएव

नीचे दर्शित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम के विस्थापित परिवारों को, जो अपरवेदा बांध की 310 मीटर ऊंचाई पर प्रभावित होते हैं, के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है कि मानसून वर्ष 2011 को बांध में 310 मीटर जल स्तर के कारण परियोजना प्रभावितों की जमीन मकान तथा अन्य सम्पत्ति डूब से प्रभावित होगी. अतः इन प्रभावित परिवारों को मानसून 2011 प्रारंभ होने के पूर्व संभावित डूब से प्रभावित क्षेत्र/संपत्ति को रिक्त करना होगा.

#### अनुसूची

##### बांध ऊंचाई 310 मीटर तक प्रभावित क्षेत्र हेतु

अ.क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	विस्थापित परिवार की कुल संख्या (व्यस्क पुत्र/ पुत्रियों सहित)	अपरवेदा परियोजना के डूब का संभावित प्रभाव		विवरण
					मकान संख्या	कृषि भूमि (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पालदा खुर्द	झिरन्या	खरगोन	59	2	39.331	
2	खरवा	झिरन्या	खरगोन	48	0	40.623	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	उदयपुर	झिरन्या	खरगोन	25	0	12.318	
4	बेढानिया खुर्द	झिरन्या	खरगोन	85	12	69.352	
5	खामीद	झिरन्या	खरगोन	163	14	122.334	
6	सोनुद	झिरन्या	खरगोन	79	06	85.274	
7	चैनपुर	झिरन्या	खरगोन	28	0	17.643	
8	गवलखेड़ा	झिरन्या	खरगोन	8	0	5.717	
				495	34	392.592	

परियोजना प्रभावित परिवार को संभावित डूब क्षेत्र रिक्त करने हेतु व्यक्तिशः सूचना-पत्र पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

यदि किसी विस्थापित परिवार को पात्रतानुसार पुनर्वास संबंधी कोई लाभ प्राप्त होना शेष हो तो ऐसा परिवार पुनर्वास अधिकारी, अपरबेदा परियोजना भीकनगांव, जिला खरगोन से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकता है।

पुनर्वास संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए विस्थापित परिवार कलेक्टर, जिला खरगोन अथवा सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण नर्मदा संकुल, नर्मदा भवन, बी-ब्लॉक द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव।

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. एफ-3-84-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-84-2009-बत्तीस, दिनांक 22 अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित जबलपुर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

### उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कटियाघाट	218/1 160/1	1.235 1.596	कृषि एवं मार्ग	आवासीय (मार्ग यथावत्) शर्त-इस क्षेत्र का अभिन्यास तैयार कराया जाकर मुख्य मार्ग से एवं खसरो के भाग का आपस में समन्वय किया जाना आवश्यक होगा।
			योग . .	2.831	

(2) उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. एफ-3-155-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-155-2010-

बत्तीस, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित शिवपुरी विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

### उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिवपुरी	टुकड़ा नं. 2, सर्वे क्र. 1202	4.431	36 मीटर चौड़े मार्ग से लगकर वृक्षारोपण.	विकास योजना के अनुसार में मार्ग के किनारे ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई छोड़कर सार्वजनिक/अर्द्ध- सार्वजनिक अंतर्गत शैक्षणिक.
2	नोहरी खुर्द	सर्वे क्र. 310, 311	4.431	कृषि	वृक्षारोपण
योग . .			4.431		

(2) उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

### वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. एफ 1(1) 19-2011-सी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्न अधिकारियों को, सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-

अनु- क्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिनियम की धारायें	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री शशि सिंह, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, भोपाल.	धारा 11, 15, 26, 30, एवं 32.	भोपाल-नर्मदापुरम संभाग
2	श्री एम.जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, ग्वालियर.	धारा 11, 15, 26, 30, एवं 32.	ग्वालियर-चंबल संभाग
3	श्री बी.एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, इंदौर.	धारा 11, 15, 26, 30 एवं 32.	इंदौर संभाग
4	श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, उज्जैन.	धारा 11, 15, 26, 30 एवं 32.	उज्जैन संभाग
5	श्रीमती मंगला पुरकाम, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, सागर.	धारा 11, 15, 26, 30 एवं 32.	सागर संभाग
6	श्री जे.के. दुबे, असि. रजिस्ट्रार फार्मर्स एवं सोसायटीज, जबलपुर.	धारा 11, 15, 26, 30 एवं 32.	जबलपुर-छिंदवाड़ा संभाग एवं रीवा-शहडोल संभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. ठाकुर, अवर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्र. 325-जियोसां-निर्वाचन-11.—मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अनुसार एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला मंदसौर की जिला योजना समिति के सदस्य के पद के लिए निम्नलिखित दो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. नाम, पता सहित  
(1) (2)

1. नगरपालिका परिषद्, मंदसौर से :—

1. श्रीमती चंचल संदीप मंडोवरा, डीकेवाय, गौल चौराहा, मंदसौर.
2. श्री बाबा पंचोली, 12/2, सुदामा नगर, रामटेकरी, मंदसौर.

महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्र. क्यू-SW-2011-2237.—पुलिस अधीक्षक, विदिशा के पत्र क्र.-एसी-1-154-ए-11, दिनांक 27 जनवरी 2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर अथवा नकाब बांधकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे नकाबधारी दुपहियां वाहन चालकों द्वारा कई स्थानों पर लूट/चैन स्नेचिंग व अन्य आपराधिक गतिविधियां की गई हैं तथा इनके एकांत स्थानों में होने अथवा मित्रों के साथ होने की स्थिति में छेड़छाड़ की घटनायें बढ़ी हैं. पुलिस अधीक्षक, विदिशा द्वारा पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशों के क्रम में ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु आग्रह किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, विदिशा के संदर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्य प्रायः सभी मुख्य मार्ग, पार्क, एकांत स्थान तथा मुख्य बाजारों में सहजता से अवलोकन किये जा सकते हैं, उल्लेखित स्थितियों में मुंह पर कपड़ा बांधकर पहचान छुपाये जाने से आपराधिक दुरुपयोग की संभावनायें बढ़ती हैं.

अतः, ऐसी स्थिति में लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने एवं मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है एवं लोक प्रशांति को विध्वन पहुंचाने वाली शक्तियों को रोका जाना नितांत आवश्यक है.

अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एस.सी. शुक्ला, अपर जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा यह आदेश प्रसारित करता हूं कि कोई भी महिला/पुरुष मुंह पर कपड़ा बांधकर एवं नकाब बांधकर वाहन नहीं चलायेगा.

चूंकि, यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सम्यक समय में सुनवाई की जाना संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, यह आदेश विदिशा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील होगा. उक्त आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट तथा बने नियमों तथा धारा 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जा सकेगी.

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी 2011 से मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. सी. शुक्ला, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. सह.अधि.-रीडर-2011-298.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय, सागर में माननीय अध्यक्ष, श्री के.सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य, श्री जी.सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 14 मार्च 2011 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर, सागर, राजस्व संभाग, सागर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार).

विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक 209-भू-अर्जन-11

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नगावां, प. ह. नं. 31, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 45, 48/2, 55, 56, 100 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 22, 24, 42/1, 42/2, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 9, 21, 48/1 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1, 2, 3 पर अंकित किया गया है.

## परिशिष्ट-1

## आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम-नगावां

अनु.क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/पूरा पता	सर्वे नंबर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लॉट नंबर/ भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोवर्धन पिता नत्थु	45	1	2 3 4 5	7 7 7 8
2	देवराम पिता नत्थु, बसंतीबाई पति देवराम, श्रीराम पिता देवराम, गंगाबाई पति श्रीराम, नत्थु पिता हीरा, द्रोपताबाई पति नत्थु.	45	1	6	4
3	प्रभुराम पिता राजाराम, प्रमिलाबाई, पति प्रभुराम	45	1	7	4
4	जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुबाई पति जनकगीर	45	1	8	4
5	दौलतसिंह पिता सुखलाल, शकुबाई पिता दौलतसिंह	45	1	9	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	दर्शनसिंह पिता छतरसिंह, प्रेमलताबाई पति दर्शनसिंह	45	1	10	13
7	जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश	45	1	12	3
8	सेवकराम, पिता ठाकुरलाल, फुंदाबाई पति सेवकराम, रामेश्वर पिता ठाकुरलाल, नीलाबाई पति रामेश्वर.	45	1	13	4
9	बजरंग पिता तोताराम, मिसरबाई पति बजरंग	45	1	14	4
10	महिमाराम पिता ठाकुरलाल, शकुंतलाबाई पति महिमाराम, मयाचंद पिता बलीराम, बनारसबाई पति मयाचंद, मुकेश पिता राधेश्याम, कविताबाई पति मुकेश.	45	1	15	3
11	शिव मंदिर सार्वजनिक, शिवसभागृह, ओटला	45	1	18	16
12	गंगाराम पिता भीलाजी, रंजनाबाई पति गंगाराम	45	1	20	2
13	लखमसिंह पिता कनकसिंह, शकुनबाई पति लखमसिंह	45	1	21	2
14	किशन पिता मोतीराम, देवकीबाई पति किशन	100	1	23	165
15	कमलसिंह पिता गनाजी, कलाबाई पति कमलसिंह	100	1	48	151
16	देवकीबाई पति किशन	100	1	45	146
17	राधेश्याम पिता कमलसिंह, दुर्गाबाई पति राधेश्याम	100	1	47	53
18	गुलाबचंद पिता रतन, मरूबाई पति गुलाबचंद	100	1	49	749
19	ठाकुर पिता कुंवरजी, कंचनबाई पति ठाकुर	100	1	175	49
20	बबलू पिता चिंताराम, कालीबाई पति बबलू	55	1	275	27
21	रमेश पिता हीरा, लक्ष्मीबाई पति रमेश	55	1	276	56
22	दिलीप पिता धन्ना, ममताबाई पति दिलीप	55	1	277	22
23	मुकेश पिता रमेश, धवलीबाई पति मुकेश	55	1	278	39
24	रूपसिंह पिता भीका, पोसलीबाई पति रूपसिंह	55	1	279	31
25	छित्तु पिता फतु	48/2 56	1	292 290	13 35
26	राजाराम पिता मंगल्या, अनिताबाई पति राजाराम	48/2	1	294	88
27	सुकराम पिता मंगल्या, बसंतीबाई पति सुकराम	48/2	1	295	69
28	सुमनबाई बेवा उमराव, मनीष पिता उमराव, अनिताबाई पति मनीष, सतीष पिता उमराव.	48/2	1	296	55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	अंबाराम पिता मंगल्या, जीवनबाई पति अंबाराम, जानकीबाई पति मंगल्या, लोभीराम पिता मंगल्या, संजुबाई पति लोभीराम.	48/2	1	297	78
30	राजाराम पिता धन्नालाल, कंचनबाई पति राजाराम	48/2	1	299	53
31	रमेश पिता धन्नालाल, लक्ष्मीबाई पति रमेश	48/2	1	300 302 318	57 43 46
32	तुलसीराम पिता रामसिंह, कुसुमबाई पति तुलसीराम	48/2	1	301	58
33	भुवानीराम पिता कन्हैया, कमलाबाई पति भुवानीराम	48/2 56	1	303	55 12
34	मुलचंद पिता मोतीराम, भूरीबाई पति मुलचंद	48/2	1	305	33
35	रमेश पिता मांगीलाल	48/2	1	307/367	145
36	सोम्मरिया पिता गोकुल, मायाबाई पति सोम्मरिया	48/2	1	307	180
37	लखन पिता कमल, कालीबाई पति लखन	48/2	1	308	87
38	महेश पिता कमल, अनिताबाई पति महेश	48/2	1	309	53
39	कमल पिता नाना, कड़वीबाई पति कमल	48/2	1	310	60
40	संतोष पिता एड्डू, रेखाबाई पति संतोष	48/2	1	311	31
41	एडूजी पिता देवीसिंह, रेशमबाई पति एडूजी	48/2	1	312	26
42	तेजलबाई बेवा देवीसिंह, मंसाराम, कृष्णा, चिंताराम पिता देवीसिंह, सुमनबाई पति मंसाराम, अनिताबाई पति कृष्णा, राधाबाई पति चिंताराम.	48/2	1	315	29
43	नांग्या पिता नाना, धनुबाई पति नांग्या	48/2	1	316	39
44	दीपत पिता नांग्या	48/2	1	317	33
45	नीलाबाई बेवा रामसिंह	48/2	1	319	33
46	काशीराम पिता रामसिंह, रामकलीबाई पति काशीराम	48/2	1	320	55
47	मुन्ना पिता सरमिया, वालीबाई पति मुन्ना	55	1	281	44
48	सुखराम पिता गंगाराम, गीताबाई पति सुखराम	55	1	283	19
49	मुकेश पिता मांगीलाल, शिवानीबाई पति मुकेश	55	1	282	15
50	कमल पिता रूपसिंह, ममताबाई पति कमल	55	1	280	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	दिनेश पिता कन्हैया, डालीबाई पति दिनेश	56	1	285	23
52	बाबू पिता भुवानीराम, संतोषबाई पति बाबू	56	1	286	54
53	कपूर पिता छितु, आशाबाई पति कपूर	56	1	289	45
54	छितु पिता फत्तु, कैलाशबाई पति छितु	56	1	288	84
55	राधुराम पिता मोतीराम, नर्मदाबाई पति राधुराम	100	1	24	53
			1	43	37
56	नरेन्द्र पिता राधुराम, मायाबाई पति नरेन्द्र	100	1	25	70
57	बाबू पिता मयाराम, पारूबाई पति बाबू	100	1	27	41
58	नानीबाई पति गेंदालाल	100	1	29	71
59	सड्डु पिता दयाराम, बसुबाई पति सड्डु	100	1	30	77
60	गड़बड़ पिता दुल्या	100	1	31	58
61	नंदु, प्रेमचंद पिता कोल्या	100	1	32	107
62	शेरू पिता नत्थू, कड़वीबाई पति शेरू	100	1	41	75
63	केशरबाई बेवा शोभाराम	100	1	37	84
64	गेंदालाल पिता मयाराम	100	1	38	48
65	तुलसीराम पिता बददु	100	1	40	63
66	कालूराम पिता मयाराम, कंचनबाई पति कालूराम	100	1	42	54
67	मिश्रीलाल पिता मोतीराम, मालतीबाई पति मिश्रीलाल	100	1	44	40
68	मदन पिता शेरू, चंदाबाई पति मदन	100	1	50	49
69	शेरू पिता सिगदार, नीलाबाई पति शेरू	100	1	51	356
70	जसवंत पिता शेरू, मिराबाई पति जसवंत	100	1	71	95
71	राधेश्याम पिता सखाराम, ललिताबाई पति राधेश्याम	100	1	72	27
72	द्वारकीबाई बेवा सखाराम	100	1	73	21
73	मन्नु पिता सखाराम, सावित्रीबाई पति मन्नु	100	1	74	44
74	मांगीलाल पिता राजाराम, मरूबाई पति मांगीलाल	100	1	75	65
75	शिवराम पिता मुरार, जशोदाबाई पति शिवराम	100	1	76	73
76	मंगत पिता भोलू, गोपीबाई पति मंगत	100	1	77	373

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	रामचंद्र, रूपचंद्र पिता कोल्या, उमाबाई पति रूपचंद्र	100	1	83	38
78	मांगीलाल पिता लक्ष्मीचंद्र, गीताबाई पति मांगीलाल	100	1	84	166
79	बाबूलाल पिता मयाराम	100	1	89	92
80	गोवर्धन पिता नत्थू, जीवनबाई पति गोवर्धन	100	1	90	135
81	स्याणीबाई बेवा नत्थू, डालुराम पिता नत्थू, कालीबाई पति डालुराम, गोवर्धन पिता नत्थू, जीवनबाई पति गोवर्धन, बलीराम पिता नत्थू, दुर्गाबाई पति बलीराम, कन्हैयालाल पिता नत्थू, भागवतीबाई पति कन्हैयालाल, सियाराम पिता नत्थू, ग्यारसबाई पति सियाराम	100	1	91	150
82	मनोहर पिता बाबूजी, मालतीबाई पति मनोहर	100	1	94	131
83	भगवान पिता भीकाजी, सुमनबाई पति भगवान	100	1	97	121
84	गोविन्द पिता भीकाजी, नीलाबाई पति गोविंद	100	1	98	136
85	गुलाबबाई बेवा जयराम	100	1	108	260
86	शिवराम पिता राजाराम, शिवकुंवरबाई पति शिवराम, देवराम पिता राजाराम, रेशमबाई पति देवराम.	100	1	110	220
87	नानीबाई बेवा बाबू	100	1	112	63
88	गणेश पिता बाबू, सुधाबाई पति गणेश	100	1	113	31
89	रामेश्वर पिता कड़वा, कंचनबाई पति रामेश्वर	100	1	114	102
90	बलीराम पिता बल्लू, मोरसबाई पति बलीराम	100	1	116	57
91	देवा पिता नरसिंह, मीराबाई पति देवा	100	1	117	59
92	कड़वीबाई बेवा चेताराम, मंगत पिता चेताराम, पारूबाई पति मंगत.	100	1	119	160
93	जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश	100	1	128	254
94	रमेश पिता प्रेमलाल, उर्मिलाबाई पति रमेश, जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश.	100	1	129	74
95	नत्थूजी पिता घीसाजी, स्यानीबाई पति नत्थूजी	100	1	130	159
96	कड़वीबाई पति घिसाजी	100	1	131	116
97	प्रवीणपुरी पिता महापुरी, मधुबाई पति प्रवीण	100	1	132	184
98	बजरंग पिता तोताराम, मिसरबाई पति बजरंग, गजानंद पिता तोताराम, सीताबाई पति गजानंद.	100	1	133	184

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	ठाकुरलाल पिता हीराजी	100	1	134	152
100	चंपालाल पिता दल्लु, बीनुबाई पति चंपालाल	100	1	176	87
101	राकेश पिता बाबू, प्रमिलाबाई पति राकेश	100	1	177	106
102	कालू पिता मांगीलाल, चंपाबाई पति कालू	100	1	178	155
103	खुश्याल पिता नारायण, भगवतीबाई पति खुश्याल	100	1	179	144
104	गजानंद पिता दयाराम, सीमाबाई पति गजानंद	100	1	180	68
105	सेवकराम पिता मोतीराम, मांगीबाई पति सेवकराम	100	1	181	310
106	चंपालाल पिता तापीराम, रमाबाई, पति चंपालाल	100	1	187	97
107	काशीराम पिता तोताराम, कंचनबाई पति काशीराम	100	1	231	67
108	राधेश्याम पिता तोताराम, कृष्णाबाई पति राधेश्याम	100	1	232	90
109	नत्थूसा पिता चंपालाल, समोतिबाई पति नत्थूसा	100	1	233	65
110	फत्तुलाल पिता चंपालाल, किरणबाई पति फत्तुलाल	100	1	234	9
111	सीताराम पिता बालाराम, सुशीलाबाई पति सीताराम	100	1	235	22
112	भीलुराम पिता अर्जुन, मिश्रीबाई पति भीलुराम, सुरेश पिता भीलुराम, कृष्णाबाई पति सुरेश.	100	1	236	15
113	जमनाबाई बेवा मांगीलाल	100	1	237	15
114	देवराम पिता भीकाजी, कृष्णाबाई पति देवराम	100	1	86	122
				95	111
				योग . . 9857	

## परिशिष्ट-2

## निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क्र. (1)	नाम मकान मालिक पिता का नाम (2)	ख. नं. (3)	संपत्ति का विवरण (4)
1	गीताबाई पति भाईराम	22	टीनशेड-1
2	नवलसिंह पिता मांगीलाल	24	टीनशेड-1
3	सुरेश पिता नवलसिंह	24	टीनशेड-1
4	अर्जुन पिता राधेश्याम	42/1, 42/2	मकान-1
5	टीकमसिंह पिता राधेश्याम	93	टीनशेड-1
6	राजेश पिता अमरसिंह	93	टीनशेड-1

(1)	(2)	(3)	(4)
7	विक्रमसिंह पिता अनारसिंह	94/1, 95/1	मकान-1
8	जगदीश पिता अनारसिंह	94/1, 95/1	मकान-1
9	वीरेन्द्र पिता गोरधन	94/2	टीनशेड-1
10	रामेश्वर पिता बाबूलाल	94/2	टीनशेड-1
11	राजाराम पिता भुवानीराम	94/2	गोबर गैस संयंत्र
12	सुरेन्द्रसिंह पिता राधेश्याम	94/2	टीनशेड-1
13	बहादुरसिंह पिता चंपालाल	94/2	टीनशेड-1
14	करोडीलाल पिता शेरूजी, गणेश पिता शेरूजी	94/2	टीनशेड-1
15	अनारसिंह पिता हीरालाल	94/2	एंगल टीन खुला
16	भलाजी पिता भुवानीराम	95/2	एंगल टीन खुला

## परिशिष्ट-3

## शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क्र. (1)	ख. नं. (2)	मद (3)	संपत्ति का विवरण (4)
1	21	गोचर	मांगलिक भवन-1, टीनशेड-1
2	9	गोचर	टापरी-3, टीनशेड-2, गोबर गैस संयंत्र-1, पानी का होज-2.
3	48/1	गोचर	झुग्गी-20

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-9-2007 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-15/07/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 4-10-07 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा :—

1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.
4. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी.
5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44ए).
6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
7. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी, तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
8. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
9. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आशय के प्राप्त करना होंगे कि, "पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा".
11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
15. शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
16. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.



17. प्रचलित नियमों के अंतर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे.
- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्चस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लॉट पर मकान बनाने के लिये करेगा. यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है तो वह आवंटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा.
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा. जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा.
- (ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1, 2, 3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फवस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य शासन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिग्रहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिग्रहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी, उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा.

भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क्र. 1 राज्य शासन, पक्ष क्र. 2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद् आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी. अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा.

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मंडलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

**पक्ष क्रमांक-1**  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**साक्षी क्र.-1**

हस्ता./-

हस्ता./-

**( केदार शर्मा )**

नाम : ( मथुरालाल मण्डलोई )  
पात : 219-पुष्प कुंज बजरंग नगर,  
जेतापुर, खरगोन.

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग  
जिला खरगोन (म. प्र.)

**साक्षी क्र.-2**

**पक्ष क्रमांक-2**

हस्ता./-

हस्ता./-

नाम : ( छोटे खान )  
पता : 15, टवडी मोहल्ला,  
खरगोन.

**( असद जाफर )**  
महाप्रबंधक  
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,  
मंडलेश्वर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्र. 1509-व.लि.-2011.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, बी.एम. शर्मा, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2011 के लिये धारा जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

अ.क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	वार (3)	दिनांक (4)	विवरण (5)
1	रंगपंचमी	गुरुवार	24-3-2011	संपूर्ण धार जिले के लिए.
2	श्री संकर सवारी (छबीना) का दूसरा दिन.	मंगलवार	23-8-2011	सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए.
3	विजयादशमी का दूसरा दिन	शुक्रवार	7-10-2011	संपूर्ण धार जिले के लिए
4	उर्स	शुक्रवार	23-12-2011	तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिए.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.

## श्रम पदाधिकारी कार्यालय (मण्डीदीप), जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

मण्डीदीप, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. श्र.प.-221-2011.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4514-2459-सोलह-ए, दिनांक 29 सितम्बर, 1983 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 1983 में प्रकाशित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. जी.डी. द्विवेदी, श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप (जिला रायसेन) एतद्द्वारा, मण्डीदीप नगर में निम्न अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाए गए क्षेत्र के लिए उसके समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाए दिवस को उक्त धारा के प्रावधानों हेतु साप्ताहिक अवकाश दिवस घोषित करता हूँ :—

### अनुसूची

क्र. (1)	दुकान एवं संस्थानों की श्रेणी (2)	साप्ताहिक अवकाश दिवस (3)	क्षेत्र (4)
1	समस्त दुकान एवं संस्थान किन्तु राज्य शासन द्वारा इस प्रावधान में छूट प्रदान किए गए दुकान एवं संस्थानों को छोड़कर.	गुरुवार	मेन रोड से मंगल बाजार पटेल नगर, इन्द्रा नगर, गांधी चौक, गणेश चौक, रामकृष्ण मंदिर, दुर्गा चौक, शनिवार मार्केट, राम नगर एवं सतलापुर का सम्पूर्ण क्षेत्र.
		रविवार	नयापुरा पुल से कलियासोत पुल तक हाईवे रोड की दोनों तरफ के संस्थान एवं सैनिक पेट्रोल पम्प से रेलवे स्टेशन को जानी वाली सड़क के दोनों तरफ के संस्थान.

यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

जी. डी. द्विवेदी, श्रम पदाधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 1 फरवरी 2011

क्र. 200-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक 07/अ/82/2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा-5“अ” के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	निवाली	तलाव	11.800	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर	चेक पोस्ट के विस्तारीकरण के लिए
योग . .			11.800		

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01-भू-अर्जन-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	11.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम पृथ्वीपुर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	खिस्टौन	7.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट :—** सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम खिस्टौन की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	जलंधर	32.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट :—** सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम जलंधर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	मवई	43.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट :—** सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम मवई की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-2010-11-चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	पहाड़ी बक्सी	3.254	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **पहाड़ी बक्सी** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-भू-अर्जन-2010-11-चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	बंजारीपुरा भाटा	12.396	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **बंजारीपुरा भाटा** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-भू-अर्जन-2010-11-चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	बंजारीपुरा खास	28.246	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु.

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **बंजारीपुरा खास** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2011

प्र. क्र. 05-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	टीलादांत	41.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा	टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **टीलादांत** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	केशरमढ़	62.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा	टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **केशरमढ़** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-भू-अर्जन-2010-11-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	मौंगना	2.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा	टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.

**नोट** :— सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम **मौंगना** की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-भू-अर्जन-2010-11-चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	दरगांय कलां	14.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा	टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम दरगांय कलां की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्र. क-1183-भू-अर्जन-10.—चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के कालम (1) से कालम (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल		अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सागर	बीना	देवल	99	80.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर	देवल जलाशय योजना बांध कार्य एवं नहर कार्य के डूब में एवं निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. क-1463-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	बंडा	कांटी	30.852	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
		प.ह.नं. 87			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बीना, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. क-1459-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल		अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बीना	धनोरा	11	0.48	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि., सागर म. प्र.	बीना खिमलासा, खिमलासा मार्ग मालथौन राजमार्ग क्रमांक 42 के उन्नयन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. प्र. भू. अ.-2010-1460.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	खुरई	बसाहरी	8	0.50	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन सागर संभाग, सागर.	बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.



क्र. क-1461-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	जालमपुर प.ह.नं. 45	11.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-1462-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	बंडा	पनारी प.ह.नं. 83	8.532	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 फरवरी 2011

प्र. क्र. 043-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतारा	निजी भूमि 8.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.90 कुल रकबा 12.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ मेमारी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरदुआ मेमारी	निजी भूमि 19.90 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.30 कुल रकबा 30.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ मेमारी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 045-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कुडाई हार	निजी भूमि 1.90 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 1.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सलैया फेरन सिंह बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 046-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैया फेरन सिंह	निजी भूमि 23.10 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.45 कुल रकबा 25.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सलैया फेरन सिंह बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 047-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बोरी	निजी भूमि 11.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 कुल रकबा 12.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 048-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ठरका	निजी भूमि 12.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.90 कुल रकबा 15.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैया फेरन सिंह	निजी भूमि 33.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.60 कुल रकबा 37.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 050-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बीजाखेड़ा	निजी भूमि 28.60 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.90 कुल रकबा 37.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	टोला बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 051-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महेबा	निजी भूमि 48.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 13.90 कुल रकबा 62.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 052-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मलघन	निजी भूमि 14.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 16.60 कुल रकबा 31.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मलघन बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 053-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	अतरहाई	निजी भूमि 20.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.70 कुल रकबा 26.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	अतरहाई बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 054-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुर खुर्द	निजी भूमि 33.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 8.20 कुल रकबा 41.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	शाहपुर खुर्द बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ताला	निजी भूमि 26.65 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 कुल रकबा 28.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	ताला बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 056-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रैगुवां	निजी भूमि 25.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 6.40 कुल रकबा 31.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रैगुवा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 057-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	लमतारा	निजी भूमि 18.60 एवं शासकीय भूमि रकबा 12.65 कुल रकबा 31.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लमतारा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चकरभटा	निजी भूमि 38.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.70 कुल रकबा 49.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरभटा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 059-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरा	निजी भूमि 22.70 एवं शासकीय भूमि रकबा 20.20 कुल रकबा 42.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरा नं. 2 बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र. 1477-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	छांयन चंदवाडियाखुर्द संदला चंदवाडियाकला	0.864 0.272 4.856 0.481	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	बागेडी तालाब की लघु नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. 1680-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	अमझेरा	0.950	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	मकोडा नाला केनाल निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1685-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	मुकुन्दपुरा	1.098	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	इन्दला तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-16-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	बामरौल	5.88	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की शाखा नहर आर. एम. 3, एल. एम. 4, एल. एम. 5 एवं एल. एम. 5 की उप शाखा आर 1 नहर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	उपराय	13.11	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर. बी. सी. (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा नहर आर.एम. 2, आर.एम. 3, एल. एम. 6 आर.एम. 7, एल. एम. 8, आर. एम. 9, 10 एवं एल. एम. 5 की उपशाखा आर. 1, आर. एम. 9 की उपशाखा आर 1 के निर्माण हेतु है.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

दतिया, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	औरीना	11.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा नहर 5 आर, 7 आर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-19-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	औरीना	10.39	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 10 आर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-21-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	औरीना	12.97	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 8 एल. 9 एल. के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-21-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	बडेरा जागीर	7.13	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 की शाखा नहर एल. एम. 7, एल. एम. 9, आर. एम. 11 एवं आर. एम. 12 के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 1536-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				नगर/ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-बिछुआ सानी ब.नं.-274 प.ह.नं.-39 रा.नि.मं.-नांदनवाड़ी.	08.510 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	बिछुआ सानी जलाशय योजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन नहर उप संभाग, पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 1537-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				नगर/ग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-पिपर-पानी ब.नं.-244 प.ह.नं.-16/40 रा.नि.मं.-नांदनवाड़ी.	0.202 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	बिछुआ सानी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 199-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा-4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	सुलगांव	12.177	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन. (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 200-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	बहेगांव	4.785	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

**नोट :—** भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन. (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. 3630-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कल्पोनी	7.675	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पाडल्याखेड़ी तालाब की नहर में अर्जित भूमि का अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	पाडल्याखेड़ी कल्पोनी रसूलपुरा बखेड	1.427 9.020 13.663 9.366	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पाडल्याखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र की शेष रही भूमि का भू-अर्जन.
		योग . .	41.151		

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. बी. ओझा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 21 फरवरी 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
रायसेन	उदयपुरा	बुधनवाड़ा	99/1/1	2.407	0.066	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	मोघा जलाशय की नहरों हेतु.
			99/1/2	2.402	0.264		
			99/2/1	2.428	0.251		
			99/2/2	2.384	0.330		
			134/1	1.214	0.198		
			134/2	1.173	0.079		
			132	1.441	0.120		
			214	2.444	0.280		
			213/2	0.607	0.036		
			217	1.052	0.119		
			98/1/2/4	0.405	0.260		
			102/1	0.534	0.152		
			216/3	0.793	0.083		
			46/1/1	1.82	0.144		
			46/1/2	0.188	0.072		
97	2.489	0.165					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			96	1.651	0.184
			114/1	0.619	0.183
			114/2	0.627	0.090
			115/1	0.530	0.061
			115/2	1.619	0.137
			116/2	0.746	0.030
			137	3.205	0.018
			138	3.209	0.484
			139	1.598	0.332
			140	2.023	0.265
			231	1.125	0.054
			236	0.421	0.090
			238/1	1.753	0.126
			240/1	2.128	0.024
			240/2	1.700	0.066
			145	1.437	0.167
			146	2.302	0.216
			186	3.266	0.207
			184/3/2	1.790	0.167
			185/1	2.673	0.081
			185/2/1/1	0.809	0.059
			185/2/1/2	0.529	0.005
			185/2/2	1.337	0.227
			198	6.398	0.158
			201/2	0.809	0.184
			201/3	0.859	0.095
			201/4	1.214	0.045
			201/1	1.886	0.124
			202	2.448	0.122
			203/2	0.809	0.014
			277/1/1	2.752	0.018
			277/2	1.011	0.122
			277/3	1.011	0.108
			277/1/3	0.809	0.009
			278/1	1.619	0.113
			283/1	5.764	0.112
			283/2	2.000	0.117
			307/1	3.436	0.079
			307/2	3.436	0.110
			308/1	1.729	0.175
			309	2.182	0.296
			355	1.522	0.144
			356/1	0.930	0.080



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			356/2	0.466	0.068
			385	0.466	0.022
			386/1	0.949	0.198
			231	1.125	0.022
			235	2.213	0.247
			237/1/1	0.809	0.112
			237/2	0.405	0.094
			238/1	1.753	0.049
			240/1	2.128	0.031
			242/2	1.283	0.013
			242/1	1.283	0.076
			111/1/2	2.103	0.117
			112/1	0.603	0.043
			112/2	0.603	0.087
			148/2/1	0.866	0.022
			149	0.551	0.121
			150/1	0.744	0.166
			150/2/2	2.024	0.175
			151/1	1.125	0.094
			183/1/1	2.405	0.072
			183/2/2	1.214	0.099
			182	1.214	0.117
			181/2/2	1.619	0.041
			175/1/1/1	0.405	0.108
			175/2	0.777	0.175
			180/2	1.112	0.162
			179	0.450	0.058
			204	1.214	0.162
			205/1	1.214	0.405
			176	1.983	0.203
			206/2	1.420	0.018
			221/2	1.011	0.054
			222	0.968	0.068
			259	1.744	0.265
			271	4.569	0.031
			272	4.257	0.427
			273/2	1.214	0.225
			275	4.711	0.346
			276	6.074	0.184
			305	2.958	0.202
			306/2	1.682	0.189
			299	1.012	0.018
			300/1	1.619	0.099
			301	4.205	0.220

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			304	3.266	0.099
			331	0.713	0.045
			296/1	1.101	0.108
			296/2	1.101	0.115
			298	2.023	0.252
			311/1	0.348	0.045
			310	3.132	0.202
			313/2/1	0.457	0.019
			313/2/2	2.832	0.222
		बड़गावा कला	5/3	2.023	0.051
			5/4	2.023	0.045
			5/1	6.189	0.710
			13/1	1.384	0.086
			13/2	1.384	0.133
			5/2	6.207	0.158
			11	4.569	0.148
			47/1/2	1.890	0.192
			7/2/2	0.809	0.106
			7/1/1/1	1.619	0.195
			17	2.428	0.223
			12	5.325	0.223
			18/2	1.619	0.090
			16	2.428	0.247
			15/2/1	1.214	0.018
			9/1/1	1.860	0.292
			9/2/1	2.428	0.068
			4/2/1	2.707	0.022
			15/2/2	0.917	0.068
			15/1/2	0.809	0.059
			15/1/1	1.512	0.086
			9/1/2	4.552	0.060
			9/3/2/1	0.809	0.152
			48	1.133	0.090
		मुरपार	71/1	4.051	0.201
			71/2	0.405	0.078
			72/1	1.234	0.135
			70/2	12.847	0.193
			19/1/1	1.142	0.086
			18/3	1.146	0.172
			22/1	1.797	0.042
			22/2/1	0.315	0.062
			22/2/2	0.899	0.067
			24/2/1/2	0.766	0.009
			24/2/2	1.517	0.135

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			23	1.214	0.096
			25/2/2	0.809	0.126
			26	7.527	0.166
			28/1/1	1.619	0.096
			28/1/2	2.833	0.033
			28/2	2.023	0.096
			78/2	6.069	0.531
			99/1	1.619	0.309
			99/2	1.404	0.018
			100/1	0.498	0.067
			100/2	0.494	0.494
			101/1	0.498	0.188
			101/2	2.019	0.386
			86/2	1.787	0.171
			86/1/2	1.124	0.019
			77	7.803	0.377
			75	1.987	0.130
			72/2	1.214	0.117
			102	1.299	0.171
		मोहड़ पपलई	25/1	2.152	0.031
			26/1/1	0.809	0.225
			26/1/2	1.020	0.248
			28	1.643	0.435
			124/1/1	3.415	0.300
			124/1/2	1.036	0.075
			124/2	1.011	0.143
			159/1/1	2.428	0.473
			122/2	2.237	0.387
			116/2	1.433	0.353
			115/2	1.036	0.353
			208/1	1.206	0.133
			208/2	1.214	0.169
			7/1/2	1.214	0.157
			6/1	1.727	0.068
			6/2	1.725	0.112
			6/3	1.725	0.247
			5/2	1.289	0.157
			129	0.769	0.135
			137	1.542	0.198
			143	0.870	0.195
			16/1/1	1.283	0.126
			18/1	1.060	0.108
			18/2/1	0.530	0.245
			20	2.120	0.099

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			19/2	1.116	0.126
			19/1/2	1.113	0.121
			21	1.424	0.148
			22	2.426	0.090
			53/1	1.295	0.085
			53/2	1.214	0.225
			54/2/2	0.749	0.112
			55/1	2.806	0.013
			56/1	1.619	0.172
			57/1/4	7.017	0.060
			197	0.698	0.130
			196	1.372	0.115
			189	0.328	0.018
			186	0.644	0.090
			205/1	1.976	0.130
			205/2	2.225	0.184
			204	3.011	0.102
			210	4.727	0.195
			251/1	1.214	0.110
			251/3/2	1.417	0.019
			252/1	2.594	0.090
			250/2	0.809	0.078
			250/3	0.886	0.137
			249/1	1.435	0.020
			249/2	1.011	0.117
			249/3	0.809	0.113
		बम्होरी	50/1/2	0.809	0.270
			51/2	1.129	0.216
			54	1.137	0.248
			55	1.137	0.201
			44	3.646	0.300
			77/2/2	2.965	0.012
			49	2.594	0.248
			77/2/1	5.937	0.324
			77/1/2	2.969	0.084
			77/1/3	2.965	0.192
			106/3	2.594	0.030
			106/4	3.403	0.254
			100	1.133	0.333
			101/2	1.012	0.113
			101/1	0.506	0.108
			103	4.957	0.389
			268	0.603	0.103
			48/1	0.827	0.166

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			48/2/1	0.434	0.013
			47/1	5.261	0.225
			220/4	3.813	0.280
			221/3	4.500	0.254
			222/3	1.999	0.200
			266	1.315	0.216
			222/4/1	2.044	0.103
			254/3	1.065	0.184
			255/4	0.720	0.162
			36	2.930	0.230
			35/1	1.356	0.090
			255/6	0.720	0.067
			33/1	2.120	0.187
			33/2/1	1.619	0.152
			33/2/2	2.028	0.136
			19/2	0.809	0.110
			124	0.911	0.129
			125	0.911	0.062
			126/1/1/1	0.809	0.117
			33/2/3	2.028	0.136
			126/1/1/2	1.214	0.117
			132	2.291	0.238
			133	0.648	0.043
			204/2	1.856	0.117
			203/2	2.936	0.254
			183/1	0.405	0.020
			183/2	0.405	0.043
			183/3/1/1	0.405	0.031
			183/3/1/2	1.639	0.169
			182	2.772	0.162
			181/1	1.667	0.162
			56	1.842	0.164
			53	1.141	0.050
			164	1.978	0.054
			163	1.983	0.165
			60	2.121	0.016
			59/1	1.214	0.164
			59/2/1	0.841	0.020
			74/2/2	0.405	0.040
			73	2.145	0.175
			72/3	2.775	0.144
			59/2/2	2.051	0.176
			89	0.413	0.030
			99/1	1.295	0.180
			102	7.406	0.796

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			97	1.222	0.022
			271/1/1	0.405	0.086
			80	2.120	0.216
			81	1.238	0.212
			271/2/1/2	0.405	0.020
			271/2/2	0.607	0.078
			279/1/1/2	0.202	0.058
			181/2	1.667	0.144
			285/2	4.139	0.273
			281	2.776	0.273
			283/2	0.579	0.040
			282	3.768	0.060
			262/1/1	1.065	0.098
			262/1/2	1.065	0.086
		देवरी	316/1/1/1	1.923	0.105
			316/1/1/2	0.405	0.226
			316/1/2	1.214	0.378
			316/2/1	1.112	0.135
			319/1	0.809	0.108
			321/2	1.417	0.171
			324	4.803	0.162
			325	5.710	0.247
			319/2	0.809	0.108
			287	1.509	0.067
			286	1.311	0.090
			338	4.452	0.157
			340	7.984	0.360
			330/2	1.214	0.140
			330/5/1	0.202	0.045
			330/5/2	0.405	0.068
			343	1.170	0.137
			346	4.621	0.125
			348/1	0.863	0.180
			347/2	2.558	0.036
			500	1.012	0.096
			490/1/4	1.214	0.048
			490/1/2	0.809	0.030
			490/2/2	1.214	0.120
			490/2/3	0.405	0.024
			490/2/4	1.214	0.120
			486/1/3	3.318	0.144
			486/2	5.098	0.132
			485/1	2.011	0.180
			342	4.767	0.216

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		351/2	1.619	0.080	
		351/3	1.214	0.126	
		356/2	2.428	0.162	
		354/1/1	1.012	0.054	
		354/1/2	1.012	0.054	
		354/1/3/2	0.809	0.108	
		354/2	2.428	0.144	
		358	3.783	0.150	
		362/1	3.238	0.206	
		308/1	0.817	0.105	
		308/2	0.809	0.195	
		362/2	2.879	0.222	
		355	3.238	0.006	
		306	2.278	0.465	
		307	0.850	0.045	
		313	1.619	0.120	
		315/1	0.817	0.101	
		315/2	1.619	0.108	
		योग	647.678	50.569	

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 23 फरवरी 2011

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
कटनी	बडवारा	भजिया	निजी 3.36	झिरगिरी जलाशय योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बाबत्.
		प.ह.नं. 64/34	कुल 3.36	
		नं. ब. 309		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 14 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	धमनोदा	410/1   0.460	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरो मुख्य नहर के निर्माण.
			410/2		
			419/1   0648		
			419/2		
			422/1/5   0.005		
			422/1/4   0.005		
			422/1/3   0.110		
			422/1/6   0.014		
			421   0.129		
			420   0.060		
			341   0.453		
			367   1.000		
			342/2   0.005		
			335   0.359		
			306/4   0.060		
			315   0.042		
			313   0.010		
			306/3   0.064		
			304   0.324		
			305/1   0.032		
			303/1		
			303/2		
			303/3/1   0.900		
			303/3/2		
			303/4		
			314   0.237		
			284   0.032		
			287/1   0.620		
			287/2   0.162		
			287/3   0.162		
			287/4   0.081		
			279   0.700		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			311	0.064	
			418	0.600	
			619/2	0.520	
			623/2	0.550	
			623/3	0.230	
			623/5	0.230	
			623/4	0.230	
			625/2	0.030	
			625/3	0.180	
			626/1	0.290	
			626/2	0.150	
			645/2	0.324	
			646	0.200	
			647	0.194	
			663	0.129	
			655/1	0.050	
			655/2	0.050	
			657	0.120	
			779	0.653	
			648/2	0.194	
			664/1	1.108	
			664/2	1.108	
			659/1	0.022	
			659/2	0.022	
			656	0.544	
			661	0.194	
			778	0.388	
			737/1	0.064	
			784/2	0.324	
			785	0.064	
			<b>महायोग :</b>	<b>14.320</b>	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	सगोदा	8	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक,	बरौं मुख्य नहर	
			9	सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	के निर्माण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			10		
			13	0.698	
			15	0.199	
			18	0.339	
			22	0.143	
		महायोग :		<u>2.220</u>	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 03-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	खजूरी थानेर	178/1	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरो मुख्य नहर के निर्माण.
			178/2		
			178/3		
			180		
			182/1		
			182/2		
			182/3/1		
			182/3/2		
			140/1		
			175/2		
			175/1		
			140/2क		
			174		
			152/1		
			140/3		
			143		
			146		
			148/3		
			144/1		
			144/2		
			144/3		
			144/4		
			148/2		
			146/2		
			146/1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			145/1		
			145/2/1	0.170	
			145/2/2		
			105/1/1	0.160	
			105/1/2		
			105/1/3		
			13/1	0.499	
			13/2		
			17/1	0.180	
			17/2		
			8/1		
			8/2/2		
			8/2/3		
			8/3	1.026	
			8/4		
			8/5		
			8/6		
			6	0.500	
			4/1/1	0.290	
			3	0.100	
			महायोग :	7.173	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 04-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	पौआनाला	236	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक,	बरों मुख्य नहर
			240/4/2	सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	के निर्माण.
			240/4/3		
			247/1 मि.		
			247/1 मि.		
			247/2		
			महायोग		
				1.792	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	बरोँ	606	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरोँ मुख्य नहर के निर्माण.	
			1.646			
			583			
			0.371			
			580			
			0.769			
			579			
			0.666			
			160			
			0.397			
			578			
			0.622			
			608			
			0.091			
			151/611			
			0.005			
			151/3			
			151/1			
			0.692			
			151/2			
			119			
			0.697			
			116/1			
			0.265			
			116/2			
			0.265			
			115/1/1			
			115/2/2			
			115/3/2			
			115/1/2			
			1.240			
			115/2/1			
			115/3/1			
			महायोग			
			7.726			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	बालाबरखेड़ा	46	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरोँ मुख्य नहर के निर्माण.	
			0.020			
			45			
			0.304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		43/1	0.300		
		43/2			
		40/1	0.209		
		42/1			
		42/2/1	0.388		
		42/2/2			
		32/1	0.300		
		32/2			
		20/3/1	0.388		
		20/3/2	0.388		
		20/1	0.518		
		23/2	0.005		
		243/2/1			
		मि-1			
		243/2/1	1.425		
		मि-2			
		243/2/2			
		243/2/3			
		243/1	0.020		
		महायोग	4.265		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	पिपलिया अजीत	190/1	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक,	बरो मुख्य नहर
			190/4	सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	के निर्माण.
			190/5		
			190/6		
			194/3		
		महायोग	1.353		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	दल्लाखेड़ी	02	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरोँ मुख्य नहर के निर्माण.
			0.072		
			03		
			0.770		
			04		
			0.285		
			12/2		
			0.319		
			14/1/1		
			14/1/2		
			14/1/3		
			14/2/1ख		
			14/2/2/1ग		
			1.917		
			14/1/4		
			14/2/2ख		
			14/2/3		
			14/2		
			14/2/1क		
			14/2/2क		
			18/2		
			0.105		
			19		
			0.150		
			25		
			0.202		
			24		
			0.129		
			55		
			0.359		
			23		
			0.259		
			30		
			0.044		
			47/1		
			0.455		
			54		
			0.067		
			53/1		
			0.340		
			53/2		
			0.046		
			50/1		
			0.081		
			50/2		
			0.694		
			47/2		
			0.609		
			49		
			0.550		
			31/2		
			0.065		
			31-1		
			महायोग		
			7.518		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	खामखेड़ा	69/1 1.085	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	बरो मुख्य नहर के निर्माण.
			69/2 1.666		
			67 0.717		
			96/2 0.380		
			97/1 1.260		
			98/1		
			98/2 1.049		
			98/3		
			100/2 0.110		
			549/1		
			549/2 0.580		
			556/1		
			556/2 1.715		
			548/2 0.875		
			666/1		
			666/2 0.385		
			666/3		
			666/4		
			664/1 0.350		
			664/2		
			523 0.297		
			529/2/1		
			529/2/2 0.525		
			531/1		
			531/2 0.123		
			533 1.000		
			668 0.129		
			667 0.194		
			223/1		
			223/1/2 0.839		
			223/2		
			384 0.025		
			381/1 0.648		
			381/2 0.262		
			381/3/1		
			381/3/2 0.035		
			381/3/3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			381/4/1	0.175	
			381/6	0.227	
			381/7	0.349	
			381/8	0.175	
			369	0.175	
			367	0.350	
			509/1		
			509/2	0.437	
			509/3		
			509/4		
			511/1		
			511/1/3	0.995	
			511/2		
			606	0.167	
			607	0.167	
			608	0.500	
			611/1	1.200	
			222/1		
			222/2		
			222/3/1	1.399	
			222/3/2		
			222/4/1/क		
			222/4/1/ख		
			189/1	0.559	
			189/2	0.048	
			199/1	0.163	
			190/1	0.780	
			191	0.014	
			194	0.040	
			199/4	0.280	
			193/2	0.389	
			171/1		
			171/2/1		
			171/2/2क		
			171/2/2ख	1.000	
			171/2/2ग		
			171/3/1		
			171/3/2		
			170/2	0.780	
			170/1	0.390	
			4/2	0.315	
			महायोग :	25.323	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र. 254-भू-अर्जन-2010-11-क्र. क्यू-भू-अर्जन-2010-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	अछरौनी	79	0.05	कार्यपालन यंत्रि, राजघाट	राजघाट नहर परियोजना
			80	0.08	बाईं नहर वितरण संभाग,	के अंतर्गत बाईं तट नहर की
			87	0.57	खनियाधाना	विजयपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के
			99	0.08	जिला शिवपुरी. म. प्र.	निर्माण हेतु.
			103	0.01		
			104	0.03		
			106	0.01		
			109	0.06		
			110	0.11		
			113	0.07		
			105	0.04		
			114	0.12		
			117/2	0.05		
			119	0.01		
			120	0.09		
			118	0.28		
			884	0.03		
			885	0.10		
			886	0.16		
			888	0.06		
			887	0.08		
			891/1	0.08		
			891/2	0.05		
			897	0.04		
			893	0.01		
			894	0.13		
			895	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			896	0.08		
			2030/1	0.25		
			2027	0.06		
			2037	0.30		
			2038	0.08		
			2040	0.03		
			2042	0.01		
			2024	0.05		
			2046	0.39		
			2047	0.08		
			2048	0.04		
			2078	0.11		
			2068	0.14		
			2071	0.09		
			2072	0.10		
			2079	0.05		
			2082	0.08		
			2075	0.01		
			2076	0.02		
			2077	0.07		
			907	0.22		
			1762	0.17		
			1817	0.42		
			1820	0.19		
			1821	0.34		
			1822	0.02		
			1823	0.03		
			2119/2	0.20		
			2123/1	0.05		
			2131	0.15		
			2714	0.08		
			2688	0.06		
			2690	0.09		
			2697	0.23		
			2715	0.48		
			2716	0.60		
			2718	0.10		
			2720	0.33		
			2721	0.46		
			2722	0.03		
			2132	0.53		
			2656	0.02		
			2657	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2683/1	0.16		
			2691	0.36		
			2692	0.08		
			2693	0.21		
			2695	0.01		
			2696	0.09		
			605	0.02		
			606	0.14		
			610	0.21		
			615	0.03		
			616	0.09		
			611	0.25		
			608	0.08		
			2101	0.21		
			2102	0.22		
			2103/1	0.14		
			2113/1	0.06		
			2099/11	0.12		
			2099/12	0.07		
			2099/14	0.06		
			614	0.01		
			1864	0.03		
			1865	0.06		
			617/1	0.04		
			617/2	0.03		
			1863/1	0.12		
			1863/2	0.09		
			1863/3	0.08		
			2124	0.20		
			2129	0.10		
			कुल योग :	<u>12.84</u>		

(2) नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-99.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा

4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/तालूका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरबर	दिहायला	2153	0.18	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर
			2155	0.12	परियोजना दांया तट	(महुअर नदी तक) की
			2159	0.12	नहर संभाग, करैरा	डी-6 एवं 4 एल माइनर
			2160	0.22	जिला शिवपुरी.	के निर्माण हेतु.
			2161	0.04		
			2162	0.09		
			2163	0.16		
			2164	0.06		
			2165	0.09		
			2168	0.16		
			2169	0.03		
			2170	0.06		
			2171	0.12		
			2173	0.06		
			2174	0.07		
			2178	0.01		
			2179	0.06		
			2193	0.02		
			2281	0.02		
			2283	0.35		
			2284/2	0.04		
			2288	0.05		
			2291	0.05		
			2292	0.06		
			2293	0.06		
			2295	0.16		
			2297	0.03		
			2311	0.14		
			2316	0.10		
			2317	0.08		
			2318	0.15		
			2321	0.19		
			2343	0.06		
			2344	0.06		
			2345	0.03		
			2347	0.24		
			2349	0.18		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2351	0.01		
			2352	0.13		
			2353	0.22		
			2354	0.03		
			2525	0.16		
			2526	0.08		
			2528/1	0.04		
			2528/2	0.04		
			2544	0.12		
			2545	0.10		
			2548	0.17		
			2572	0.12		
			2573	0.14		
			2574	0.05		
			2628	0.03		
			2629	0.17		
			2630	0.27		
			2632	0.07		
			2628	0.01		
			2689	0.06		
			2697	0.01		
			2698	0.20		
			2699	0.20		
			2733	0.29		
			2737	0.22		
			2739	0.03		
			2749	0.28		
			2790	0.13		
			2791	0.36		
			2820	0.17		
			2821	0.24		
			2822	0.07		
			2855	0.26		
			2907	0.32		
			2908	0.19		
			2959	0.02		
			2966	0.12		
			2970	0.01		
			2971	0.20		
			2972	0.01		
			2973	0.32		
			2974	0.15		
			2980	0.09		
			2981	0.10		
			3729	0.20		
			3730	0.09		
			3731	0.02		
			3733	0.13		
			3734	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3735	0.09		
			3743	0.02		
			3776	0.02		
			3777	0.03		
			3783	0.05		
			3784	0.03		
			3785	0.02		
			3787	0.16		
			3789	0.24		
			3790	0.05		
			3791	0.07		
			3848	0.23		
			3890	0.02		
			3894	0.17		
			3896	0.37		
			3897	0.01		
			3899	0.34		
			3900	0.05		
			3966	0.12		
			3967	0.19		
			3968	0.28		
			3970	0.01		
			3973/1	0.02		
			3974/1	0.02		
			3975	0.22		
			4004	0.09		
			4009	0.17		
			4013	0.24		
			4019	0.27		
			4020	0.07		
			4021	0.02		
			4022	0.09		
			4023	0.01		
			4030	0.01		
			4032	0.01		
			4033	0.21		
			4034	0.36		
			4035	0.13		
			4036	0.12		
			4038	0.08		
			4039	0.51		
			2443	0.67		
			2448	0.03		
			2449	0.56		
			2451	0.01		

कुल योग . .16.74

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-105.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	बिल्हारी कलां	172	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			175	0.30	परियोजना, दांया तट	नदी पश्चात्) की उपशाखा
			176	0.01	नहर संभाग करैरा,	एम-5 के निर्माण हेतु.
			181	0.13	जिला शिवपुरी.	
			182	0.20		
			183	0.33		
			184	0.02		
			185	0.32		
			189	0.03		
			192	0.02		
			194	0.06		
			417	0.02		
कुल योग .				1.45		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-111.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सुनारी	5	0.05	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			6	0.28	परियोजना, दांया तट	नदी तक)की डी-5 एवं 6
			7	0.23	नहर संभाग करैरा,	एल माइनर के निर्माण हेतु.
			8	0.12	जिला शिवपुरी.	
			12	0.12		
			13	0.17		
			14	0.15		
			17	0.15		
			18	0.27		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			19	0.25		
			20	0.20		
			49	0.05		
			50	0.01		
			52	0.19		
			54	0.17		
			55	0.01		
			56	0.01		
			191	0.04		
			192	0.12		
			193	0.11		
			194	0.05		
			195	0.20		
			202	0.01		
			203	0.33		
			204	0.24		
			205	0.01		
			207	0.05		
			208	0.08		
			209	0.03		
			210	0.12		
			213	0.40		
			226	0.12		
			227	0.17		
			231	0.12		
			232	0.05		
			233	0.12		
			234	0.01		
			236	0.01		
			237	0.01		
			238	0.08		
			239	0.13		
			240	0.04		
			243	0.05		
			245	0.08		
			246	0.08		
			247	0.06		
			248	0.01		
			249	0.02		
			262	0.10		
			263	0.08		
			1638	0.08		
			1639	0.02		
			1641	0.08		
			1642	0.10		
			1643	0.09		
			1645	0.12		
			1646	0.06		
			1647	0.15		
			1653	0.06		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1654	0.19		
			1655	0.08		
			1656	0.10		
			1657	0.10		
			2083	0.01		
			2084	0.17		
			2085	0.01		
			2088	0.03		
			2089	1.09		
			2128	0.03		
			2129	0.08		
			2131	0.02		
			2152	0.03		
			2108	0.05		
			2130	0.32		
			2132	0.22		
			2139	0.11		
			2138	0.25		
			2140	0.35		
			2153	0.15		
			2154	0.02		
			2155	0.21		
			2156	0.02		
			2167	0.24		
			कुल योग .	<u>10.20</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-123.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरबर	मडोर	214	0.09	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			215	0.15	परियोजना, दांया तट	नदी पश्चात्) की उपशाखा
			220	0.24	नहर संभाग करैरा,	एम-5 एवं उसकी सब-माइनरों
			221	0.13	जिला शिवपुरी.	के निर्माण हेतु.
			222	0.02		
			224	0.19		
			226	0.13		
			229/2	0.17		
			230	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			243	0.02		
			244	0.11		
			246	0.02		
			247	0.12		
			249	0.12		
			250	0.02		
			259	0.18		
			261	0.14		
			262/2	0.01		
			265	0.09		
			266	0.11		
			267	0.27		
			269/1	0.10		
			270	0.31		
			294	0.32		
			346	0.02		
			347	0.20		
			351	0.14		
			370	0.07		
			372/2	0.05		
			375	0.14		
			381	0.01		
			396	0.26		
			397	0.19		
			398	0.10		
			448	0.07		
			450	0.13		
			451	0.08		
			452	0.01		
			459	0.05		
			462	0.02		
			463	0.11		
			464	0.17		
			465	0.08		
			473	0.12		
			474	0.03		
			475	0.16		
			476	0.03		
			477	0.16		
			478	0.01		
			481	0.09		
			482	0.12		
			485	0.02		
			468	0.13		
			490	0.05		
			501	0.08		
			507	0.13		
			508	0.07		
			509	0.12		
			538	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			545	0.10		
			547	0.03		
			548	0.02		
			549	0.03		
			550	0.10		
			552	0.01		
			555	0.08		
			556	0.10		
			557	0.07		
			1041	0.02		
			1042	0.06		
			1043	0.09		
			1049	0.13		
			1050	0.01		
			1055	0.01		
			1056	0.05		
			1057	0.17		
			1058	0.02		
			1065	0.08		
			1066	0.03		
			1067	0.03		
			1068	0.06		
			1069	0.07		
			1070	0.05		
			1071	0.10		
			1072	0.02		
			1076	0.08		
			1138	0.02		
			1139	0.02		
			कुल योग . .	8.14		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-129.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	जरगवाँ सानी	15	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			16	0.10	परियोजना, दांया तट	नदी तक)की डी-5 एवं 5
			17	0.06	नहर संभाग करैरा,	आर, 6 एलमाइनर के निर्माण हेतु
			60	0.06	जिला शिवपुरी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			61	0.09		
			62	0.02		
			70	0.05		
			71	0.12		
			72	0.03		
			74	0.06		
			75	0.07		
			76	0.03		
			158	0.25		
			159	0.15		
			160	0.15		
			161	0.28		
			162	0.28		
			304	0.04		
			308	0.10		
			310	0.09		
			311	0.22		
			325	0.02		
			326	0.20		
			338	0.11		
			339	0.09		
			340	0.23		
			341/1	0.03		
			341/2	0.31		
			342	0.02		
			343	0.03		
			346/1	0.11		
			346/2	0.10		
			347	0.11		
			348	0.07		
			573/1	0.04		
			573/2	0.08		
			573/3	0.08		
			577	0.16		
			578	0.11		
			579	0.23		
			581	0.34		
			582	0.20		
			584	0.02		
			588	0.12		
			589	0.05		
			590	0.05		
			591	0.12		
			592	0.29		
			593	0.02		
			594	0.04		
			595	0.04		
			605/1	0.09		
			605/2	0.03		
			606	0.05		
			607	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			608	0.03		
			609	0.07		
			610	0.06		
			611	0.01		
			613	0.01		
			615	0.05		
			616	0.02		
			638	0.01		
			708	0.02		
			710	0.01		
			732	0.01		
			766	0.01		
			771	0.02		
			772	0.03		
			773	0.01		
			774	0.03		
			775	0.03		
			776	0.03		
			777	0.02		
			778	0.02		
			779	0.02		
			780	0.01		
			782	0.02		
			813	0.28		
			816	0.03		
			817	0.02		
			818	0.02		
			820	0.02		
			832	0.05		
			833	0.05		
			834	0.21		
			835	0.06		
			836	0.02		
			845	0.04		
			846	0.07		
			847	0.08		
			848/1	0.05		
			848/2	0.04		
			849	0.07		
			850	0.06		
			851	0.10		
			868	0.04		
			869	0.04		
			873	0.03		
			874	0.06		
			875	0.03		
			876	0.05		
			877	0.05		
			878	0.18		
			880	0.02		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			881	0.01		
			901	0.02		
			902	0.25		
			903	0.10		
			904	0.10		
			905	0.11		
			907	0.15		
			938	0.37		
			939	0.03		
			973	0.01		
			976	0.05		
			977	0.33		
			978	0.06		
			983	0.01		
			984	0.08		
			985	0.18		
			986	0.10		
			987/1	0.06		
			988	0.14		
			990/1	0.08		
			990/2	0.06		
			991	0.06		
			994	0.05		
			1004	0.01		
			1005/1	0.07		
			1005/2	0.09		
			1005/3	0.08		
			1177	0.01		
			1181	0.07		
			1182	0.09		
			1183	0.02		
			1184	0.12		
			1190	0.07		
			1191	0.01		
			1193	0.06		
			1194	0.05		
			1195	0.07		
			1196	0.08		
			1197	0.07		
			1198	0.06		
			1199	0.06		
			1201	0.24		
			1202/1	0.01		
			1202/2	0.01		
			1211/1	0.07		
			1211/2	0.02		
			1212	0.17		
			1213	0.01		
			1214	0.03		
			1260	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1262	0.08		
			1263	0.10		
			1264	0.080		
			1265	0.06		
			1305	0.060		
			1308	0.02		
			1311	0.150		
			1312/1	0.09		
			1312/2	0.09		
			1313	0.08		
			1314	0.10		
			1315	0.06		
			1316	0.04		
			1320	0.02		
			1322	0.51		
			1319	0.01		
			1318	0.01		
			कुल योग . .	13.88		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-141.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	बिल्हारी खुर्द	45	0.13	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			67/1	0.04	परियोजना, दांया तट	नदी पश्चात्)की एम-5
			67/2	0.02	नहर संभाग करैरा,	माइनर के निर्माण हेतु.
			68	0.06	जिला शिवपुरी.	
			69	0.03		
			71	0.02		
			80	0.03		
			81	0.13		
			83	0.02		
			84	0.03		
			85	0.06		
			86	0.06		
			89	0.01		
			90	0.02		
			91	0.03		
			122	0.11		
			123	0.13		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			136	0.11		
			137	0.22		
			138	0.01		
			140	0.19		
			317	0.12		
			321	0.15		
			323	0.07		
			360/1	0.06		
			360/2	0.06		
			360/4	0.06		
			361	0.16		
			362/1	0.05		
			362/2	0.03		
			362/3	0.01		
			363	0.04		
			364	1.31		
			366	0.21		
			367	0.01		
			499	0.14		
			500	0.17		
			501	0.01		
			502	0.05		
			504	0.27		
			505	0.08		
			कुल योग . .	<u>3.55</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-147.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	भैसा	420	0.11	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांयी तट
			421	0.07	परियोजना, दांया तट	नहर (महुअर नदी तक)
			446	0.07	नहर संभाग करैरा,	की डी-5 की 6 एल माइनर
			487	0.06	जिला शिवपुरी.	के निर्माण हेतु.
			1165	0.17		
			1166	0.09		
			1169	0.03		
			1173	0.01		
			1257	0.20		
			1258	0.38		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1259	0.04		
			1267	0.02		
			1268	0.05		
			1269	0.23		
			1272	0.13		
			1260	0.17		
			कुल योग . .	1.83		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-153.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन		अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रोनीजा	1718	0.10	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना दांयी तट
			1719	0.08	परियोजना, दांया तट	नहर (महुअर नदी तक)
			1721	0.14	नहर संभाग करैरा,	की डी-5 एवं 5 आर माइनर
			1722	0.02	जिला शिवपुरी.	के निर्माण हेतु.
			1723	0.24		
			1728	0.23		
			1729	0.02		
			1730	0.01		
			1742	0.01		
			1743	0.13		
			1745	0.06		
			1746	0.09		
			1748	0.03		
			1751	0.10		
			1752	0.30		
			1753	0.19		
			1755	0.09		
			1758	0.10		
			1759	0.09		
			1760	0.07		
			1761	0.11		
			1762	0.03		
			1771	0.11		
			1773	0.10		
			1774	0.01		
			1777	0.07		
			1780	0.18		
			1781	0.33		
			1785	0.12		
			1786	0.16		
			1788	0.27		
			1789	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1822	0.58		
			1828	0.01		
			1829	0.09		
			1836	0.18		
			1837	0.04		
			1838	0.41		
			1848	0.18		
			1849	0.16		
			1851	0.10		
			2027	0.09		
			2028	0.27		
			2034	0.10		
			2035	0.02		
			2036	0.19		
			2037	0.01		
			2038	0.19		
			2039	0.01		
			2045	0.03		
			2059	0.10		
			2301	0.04		
			2307	0.12		
			2441	0.01		
			2442	0.09		
			2443	0.31		
			2460	0.03		
			2461	0.32		
			2462	0.01		
			2463	0.14		
			2465	0.31		
			2466	0.07		
			2467	0.06		
			2468	0.07		
			2469	0.11		
			2470	0.11		
			2479	0.08		
			2480	0.10		
			2481	0.05		
			2482	0.09		
			2483	0.08		
			2484	0.05		
			2486	0.15		
			2487	0.05		
			2488	0.20		
			2493	0.01		
			2495	0.01		
			2496	0.01		
			2506	0.01		
			2547	0.01		
			2554	0.05		
			2555	0.42		
			2556	0.10		
			2557	0.04		
			2573	0.06		
			2574	0.15		
			2575	0.09		
			2576	0.19		
			2579	0.06		
			2582	0.01		
			कुल योग . .	<u>10.31</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-159.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरबर	सनाई	45	0.11	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			47	0.08	परियोजना दांया तट	नदी पश्चात्)की उपशाखा
			48	0.01	नहर संभाग करैरा	एम-5 की मायनर आर-1,
			50	0.01	जिला शिवपुरी.	आर-2 सबमाइनर के
			51	0.09		निर्माण हेतु
			56	0.10		
			65	0.03		
			66	0.10		
			64	0.06		
			67	0.02		
			87	0.04		
			88	0.15		
			89	0.11		
			108	0.12		
			113	0.06		
			123	0.09		
			132	0.21		
			133	0.25		
			168	0.03		
			1112	0.03		
			1113/1	0.11		
			1113/2	0.11		
			1116/1	0.09		
			1193	0.04		
			1194	0.02		
			1199	0.17		
			1215	0.05		
			1217	0.17		
			1218	0.10		
			1214	0.03		
			1219	0.09		
			1220	0.02		
			1222	0.06		
			1223	0.03		
			1226	0.02		
			1221	0.13		
			1290	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1293	0.06		
			1299	0.01		
			1337	0.10		
			1298	0.07		
			1303	0.10		
			1314	0.08		
			1331	0.12		
			1304	0.10		
			1312	0.02		
			1305	0.05		
			1311	0.04		
			1313	0.03		
			1315	0.10		
			1332	0.02		
			1333	0.01		
			1335	0.05		
			1336	0.01		
			1338	0.34		
			1346	0.10		
			1350	0.20		
			1351	0.14		
			1352	0.11		
			1354	0.27		
			130	0.11		
			131	0.01		
			1115	0.15		
			1190	0.12		
			1191	0.06		
			1374	0.08		
			कुल योग	5.80		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-165.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरबर	बडगौर	922	0.47	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			921	0.34	परियोजना दांया तट	नदी तक)की डी-5 एवं
			904/1	0.60	नहर संभाग करैरा	डी-5 से निकलने वाली
			904/2	0.21	जिला शिवपुरी.	11 एल माइनर के
			898	0.18		निर्माण हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			619	0.18		
			926	0.04		
			927	0.15		
			889	0.04		
			890	0.01		
			891	0.11		
			892	0.06		
			884	0.08		
			885	0.01		
			893	0.22		
			638	0.43		
			571	0.28		
			882	0.21		
			875	0.32		
			873	0.23		
			868	0.02		
			636	0.16		
			637	0.03		
			632	0.06		
			633	0.10		
			616	0.16		
			617	0.15		
			618	0.02		
			620	0.01		
			621	0.12		
			622	0.05		
			572	0.04		
			502	0.02		
			501	0.14		
			503	0.01		
			504	0.03		
			506	0.17		
			499	0.08		
			494/1	0.21		
			492	0.08		
			491/1	0.13		
			491/2	0.05		
			516	0.03		
			612	0.12		
			614	0.20		
			615	0.01		
			590	0.11		
			589	0.11		
			586	0.15		
			588	0.10		
			760	0.06		
			761	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			758/1	0.02		
			758/3	0.04		
			759	0.08		
			742	0.12		
			741	0.14		
			740	0.11		
			746	0.04		
			747	0.07		
			377	0.05		
			376/1	0.17		
			379	0.02		
			375/1	0.03		
			375/2	0.10		
			374	0.04		
			कुल योग	8.01		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-171.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	अंदोरा	17	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध दांयी तट नहर (महुआर
			19	0.26	परियोजना दांया तट	नदी तक)की डी-5 एवं
			20	0.14	नहर संभाग करैरा	5 आर, 7 आर माइनर के
			21	0.14	जिला शिवपुरी.	निर्माण हेतु
			22	0.02		
			23	0.23		
			26	0.52		
			28	0.11		
			42	0.10		
			43	0.23		
			45	0.09		
			46	0.06		
			47	0.07		
			48	0.31		
			70	0.24		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			71	0.24		
			74	0.07		
			75	0.36		
			76	0.36		
			77	0.01		
			78	0.22		
			80	0.05		
			81/1	0.07		
			81/2	0.06		
			85	0.23		
			86	0.03		
			87	0.09		
			120	0.04		
			121	0.15		
			122	0.13		
			125	0.44		
			385	0.28		
			387	0.05		
			388	0.22		
			391	0.48		
			392	0.01		
			393	0.01		
			398	0.11		
			407	0.19		
			408	0.11		
			411	0.17		
			412	0.02		
			531	0.01		
			532	0.15		
			534	0.01		
			538	0.01		
			539	0.12		
			540	0.09		
			541	0.03		
			542	0.11		
			546	0.04		
			547	0.02		
			550	0.01		
			586	0.06		
			587	0.01		
			589	0.18		
			590	0.24		
			591	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			599	0.07		
			600	0.13		
			601	0.11		
			603	0.15		
			604	0.01		
			605	0.01		
			614	0.50		
			616	0.34		
			617	0.01		
			629	0.34		
			631	0.34		
			635	0.33		
			739	0.07		
			740	0.03		
			741	0.08		
			742	0.01		
			743	0.09		
			752	0.07		
			754	0.11		
			761/2	0.08		
			761/3	0.08		
			761/4	0.04		
			762	0.01		
			763	0.04		
			764/1	0.01		
			764/2	0.16		
			765	0.07		
			766/1	0.03		
			766/2	0.04		
			768	0.02		
			769/1	0.03		
			769/2	0.03		
			769/3	0.02		
			770/2	0.10		
			770/3	0.04		
			801	0.15		
			802	0.27		
			807	0.12		
			824	0.20		
			826	0.02		
			828	0.05		
			829	0.17		
			831	0.23		
			833	0.07		
			834	0.07		
			839	0.17		
			915	0.05		
			917	0.03		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			918	0.28		
			919	0.36		
			978	0.34		
			979	0.22		
			1001	0.04		
			1002	0.04		
			1003	0.05		
			1011	0.09		
			1012	0.02		
			1013	0.04		
			1014	0.04		
			1027	0.02		
			1028	0.01		
			1029	0.01		
			1030	0.37		
			1031	0.04		
			1032	0.05		
			1034	0.01		
			1035	0.17		
			1036	0.34		
			1041	0.05		
			1042	0.22		
			1043	0.19		
			1045	0.08		
			1071	0.02		
			1072	0.18		
			1076	0.10		
			1077	0.03		
			1078	0.06		
			1079	0.22		
			1081	0.24		
			1082	0.24		
			1321	0.05		
			1323	0.18		
			1333	0.17		
			1337	0.08		
			1338	0.07		
			1126	0.03		
			1010	0.01		
			कुल योग . .	<u>17.82</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. 182-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हरदी	15.008	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 184-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	वेला	13.596	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 186-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	कुम्ही	3.643	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 188-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	वहेरा	4.554	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 190-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	चौड़ियार	6.586	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 192-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	खोखरा	6.534	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 13 जनवरी 2011

प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज  
(ग) ग्राम—हाल्याखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.694 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
308, 312, 313/2/1/2/2	0.615
316, 317, 318, 322, 354/318/1/1/1/2/3	0.498
316, 317, 318, 322, 354/318/1/1/3/2	0.190
326, 327	0.575
332, 355/332/1/3	0.324
329/1	0.048
329/2	0.016
330/2, 331/2/2	0.749
330/2, 331/1/1	0.506
338, 339, 342/1/1/1/3	0.696
342/2, 343/2	0.477
योग :	<u>4.694</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरमानिया उप नहर की हाल्याखेड़ी माइनर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 20 जनवरी 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर  
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज  
(ग) ग्राम—निम्नागांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.443 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40, 41, 345/40/1, 345/40/2/2क	0.522
40, 41, 345/40/1, 345/40/2/1/2	0.660
40, 41, 345/40/1, 345/40/2/1/1	1.481
45/1	0.097
46/2	0.182
46/4	0.858
49/1	0.202
93/2/2	0.874
93/2/1	0.753
92/2	0.340
54/1/1	0.583
52, 54, 341/52/2	0.008
54/1/2	0.656
55	0.923
326/55	0.518
85	0.214
56	0.045
64/1	0.983
64/2	0.910
64/3	0.117
64/4	0.255

(1)	(2)	(1)	(2)
58, 59, 79, 80, 81/1	0.644	39/1/2	0.040
65	0.595	39/1/3	0.305
66	0.040	39/3	0.020
280/1	0.421	39/6	0.060
281/1क	0.728	39/7	0.016
293/1/1	0.413	48/1	0.385
293/2	0.421	49	0.720
योग :	<u>14.443</u>	65	0.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरसानिया उप नहर.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 जनवरी 2011

क्र. 127-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—खड़केल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.711 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38/3	0.680
38/6	0.210
39/1/1	0.016

68/1	0.315
68/2	0.505
68/3	0.486
74/1	0.225
74/2	0.130
85	0.615
86/2	0.285
87	0.466
89/2	0.032
155	0.008

योग : 5.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 128-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद

(ग) ग्राम—शाहबाद	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.114 हेक्टर.		
खसरा	280/1ख	0.093
रकबा	280/1ग	0.105
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
144	280/2/1	0.129
149/1/2/3	280/2/2	0.186
149/1/2/1	284/1	0.170
149/2/2	285	0.186
149/3/2/2	286/1	0.307
175/1/2	288/1/1	0.202
175/2/2/1	288/1/2	0.202
175/3	288/2	0.437
196/1	289	0.275
196/2	290/1	0.105
196/3	290/2	0.514
197/1	291	0.809
197/2	293/1	0.202
197/3	293/2/2	0.186
197/7	295	0.121
201/1	296/1	0.283
201/2	296/4	0.421
201/3	296/5	0.121
202/1क	308/1	0.032
202/2	309/2	0.040
203/1	313	0.324
203/6	315/2	0.405
223/1	315/3	0.466
223/2	296/2	1.230
223/7		
223/9		
223/12		
278/1		
278/2		
279/1/1		
279/1/2		
280/1क		

कुल योग : 13.114

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 203-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—रशीदपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.889 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
65/4	0.040
65/5	0.048
71	0.162
78	0.360
79/2	0.090
79/7	0.142
79/8	0.202
79/9	0.202
79/10/2	0.020
81/1/1	0.264
81/1/2क	0.202
81/3	0.101
82	0.430
83/3	0.162
83/4	0.192
97/1	0.272

कुल योग : 2.889

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**केदार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 फरवरी 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10-935.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—बीना  
(ग) ग्राम—महूटा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.01 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
37/1	1.01
योग . <u>1.01</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड की जल प्रदाय योजना हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं जिला कार्यालय सागर में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्र. 1184-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—सागर



(ग) ग्राम—रजौआ, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.86 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
675/1	0.33
675/2	0.07
675/3	0.03
676/1	0.13
676/2	1.35
676/3	1.35
676/4	1.35
676/5	0.63
676/6	0.13
676/7	0.42
677	1.41
678	1.41
662	0.11
660	0.38
529	0.05
528	0.06
527/3	0.11
513	0.08
414/1	0.03
414/2	0.04
413/1	0.05
413/2	0.03
417	0.10
418/1	0.08
346/1	0.02
365	0.05
358	0.06
योग :	<u>9.86</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—बदौना जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु, द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 1185-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—सागर  
(ग) ग्राम—बदौना, प. ह. नं. 51  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
896	0.16
897	0.22
898	0.22
899	0.22
योग :	<u>0.82</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—बदौना जलाशय योजना के बांध एवं स्पिल निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनीष श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 फरवरी 2011

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1)

(2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

583/3

0.02

583/4

0.02

(क) जिला—दमोह

योग : 1.10

(ख) तहसील—बटियागढ़

ग्राम—घूघस

(ग) ग्राम—आंजनी, बेलखेड़ी, घूघस

896

0.02

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.06 हेक्टर.

922

0.06

खसरा अर्जित रकबा

899

0.09

नम्बर (हेक्टर में)

900

0.15

(1)

(2)

919

0.09

ग्राम—बेलखेड़ी

923

0.06

278/1

0.08

924

0.06

278/2

0.08

925

0.07

278/3

0.08

926/2

0.07

278/4

0.07

927

0.16

265/3

0.11

1078

0.08

265/1

0.11

1077

0.07

252/1

0.09

1076

0.07

252/2

0.03

1074/1

0.06

252/3

0.03

1074/2

0.06

252/4

0.03

1066/1

0.14

253

0.16

1066/2

0.14

229

0.11

1067

0.06

232/1

0.03

1051

0.06

232/2

0.03

1048

0.13

232/3

0.03

योग : 1.70

232/4

0.05

महायोग : 4.06

232/5

0.05

232/7

0.05

232/8

0.04

योग : 1.26

ग्राम—आंजनी

70

0.19

69/1

0.08

69/2

0.11

54

0.08

53

0.08

52

0.14

51/2

0.02

574

0.21

578

0.03

481

0.10

583/1

0.01

583/2

0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बेलखेड़ी जलाशय योजना की नहर के भू-अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर, परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 491-भू-अ.अ.--2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—जबेरा, प. ह. नं. 23  
(ग) ग्राम—बगलवारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.06 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95 में से	0.14
94/2 में से	0.04
96 में से	0.35
105 में से	0.07
78/1 में से	0.13
78/2 में से	0.05
79 में से	0.06
80 में से	0.06
68/1 में से	0.09
44 में से	0.10
45 में से	0.12
49 में से	0.15
48 में से	0.15
37 में से	0.09
34 में से	0.18
33 में से	0.01
5 में से	0.12
50/2 में से	0.01
105 में से	0.35
117 में से	0.10
116 में से	0.06
115 में से	0.05
114 में से	0.03
110 में से	0.55
योग :	<u>3.06</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बगलवारा जलाशय की नहर एवं स्पिल एप्रोच चैनल हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 492-भू-अ.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—जबेरा, प. ह. नं. 23  
(ग) ग्राम—बगलवारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.03 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
98 में से	1.41
99	4.99
100	3.54
101	1.76
102	0.50
103	0.56
119 में से	1.25
120/2 में से	0.45
122/1	0.47
122/2 में से	0.30
123	0.99
125 में से	1.73
126 में से	3.15
104	0.18
105 में से	0.75
योग :	<u>22.03</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बगलवारा जलाशय के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र.भू-अर्जन-2011-44.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अंकित सूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद क्रमांक (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1)	(2)
355	0.01
293	0.18
356	0.71
302	1.20
357	0.59
303/2	0.20
342	0.75
303/1	0.43
338	0.16
354	0.03

योग : 17.39

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर  
(ख) तहसील—सुसनेर  
(ग) ग्राम—डोंगरगाँव  
(घ) क्षेत्रफल—17.39 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
101	0.26
282	0.70
107	0.04
283	0.85
106	0.91
284	0.97
105/2	0.21
285	1.35
347	0.47
286	0.65
349	0.19
291	0.12
348	0.75
345	0.15
257	0.10
281	0.54
344	0.55
256	0.46
346	1.08
292	1.45
105/1	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—उज्जैन, झालावाड़ चेक पोस्ट.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनाली एन. वायगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्र. 2646-भू-अर्जन-10-प्र. क्र.-01,अ-82 वर्ष-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—माछा  
(घ) कुल अर्जनीय रकबा—0.15 एकड़ (0.060 हेक्टेयर).

खसरा नम्बर	रकबा एकड़ में	रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	
616/1	0.15	0.060

योग . कुल अर्जनीय रकबा 0.15 एकड़/ 0.060 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माछा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है.

428/4	0.023
430	0.014
	योग : 0.124
	कुल योग : 1.792

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा)  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 3424-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—जीरापुर  
(ग) ग्राम—खारखेड़ा, पदमपुरा, उभापान  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.792 हैक्टर

सर्वे	क्षेत्रफल
क्रमांक	(हैक्टर में)
(1)	(2)

#### ग्राम—खारखेड़ा

240/1	0.170
270/1	0.050
270/2	0.250
270/3	0.050
योग :	0.520

#### ग्राम—पदमपुरा

27	0.405
18/1/1/11	0.075
18/1/3	0.192
24/1/1	0.065
24/1/2	0.040
21/1	0.052
18/1/4	0.240
योग :	1.069

#### ग्राम—उभापान

433	0.021
428/1	0.021
428/2	0.021
428/3	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खारखेड़ा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

प्र. क्र. 25-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—छतरपुर  
(ग) नगर/ग्राम—कदारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.169 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
275	0.410
251	0.510
247	0.250
246	0.105
252/1	0.283
252/2	0.209
264	0.052
265	0.160
260	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
259	0.200	1065	0.110
258	0.125	1066	0.015
289/1	0.030	1067	0.020
289/2	0.030	1068	0.101
295	0.252	1069	0.010
294	0.450	1070	0.023
304/2	0.106	1071	0.020
417/1/1	0.210	1072	0.080
417/1/2	0.080	1073	0.040
412/3	0.092	1074	0.060
411/1	0.093	1144	0.120
411/2	0.093	1157	0.057
411/3	0.093	1182	0.406
892	0.119	273	0.042
887	0.175	274/1	0.090
885	0.032	274/2	0.060
883	0.065	289/5	0.080
882	0.160	293/1/2	0.080
884	0.120	419	0.400
933	0.165	306	0.025
934	0.180	417/2	0.310
932/2	0.080	249/1	0.220
994	0.060	893/3	0.032
995	0.032	893/2	0.016
991	0.058	894	0.400
996	0.052	890	0.100
997/1	0.016	886	0.088
997/2	0.008	1004/1	0.085
1001/1	0.060	1018	0.060
1001/2	0.030	1199	0.061
1002	0.073	1203	0.160
1003	0.070	1198	0.042
998	0.115	1201	0.020
1004/2	0.085	1200	0.032
1000	0.120	1197	0.024
999	0.080	1142	0.166
1063	0.130	1143	0.125
1064	0.160	1148	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
1145	0.040	255	0.080
270/1	0.050	242	0.008
261	0.080	692/243	0.185
891	0.088	244	0.800
931	0.050	298	0.110
899	0.108	335/1	0.189
1006	0.056	301	0.258
1091	0.036	302	0.036
1154	0.117	313	0.295
1155	0.100	336	0.900
1146	0.182	337	0.259
1147	0.100	245	0.080
1188	0.072	251/2	0.025
289/4	0.080	252/2	0.300
योग :	<u>11.169</u>	252/1	0.350
(2) ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.		253	0.500
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		300	0.324
		310	0.121
		254	0.059
		256/1	0.025
		256/2	0.090
प्र. क्र. 24-अ-82-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		257/1	0.201
		257/2	0.185
		258	0.400
		259	0.152
		261	0.010
		299	0.058
		309	0.450
		311	0.200
(1) भूमि का वर्णन—		312/1	0.250
(क) जिला—छतरपुर		314/1	0.080
(ख) तहसील—छतरपुर		327	0.100
(ग) नगर/ग्राम—चंद्रपुरा		333	0.089
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.290 हेक्टर.		334	0.900
खसरा	रकबा	332	0.053
नम्बर	(हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	331	0.024
240	0.080	338	0.380
241	0.042	371/2	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
366/1/2	0.100	411	0.454
330	0.223	415/1	0.132
355	0.320	391/1	0.917
366/1/3	0.446	391/1 में से	0.012
371/1	0.024	391/2	0.023
367	0.016	391/3	0.016
368	0.413	391/4	0.016
369/1	0.012	391/5	0.016
370/1/2	0.162	405	0.417
370/2/2	0.162	406	0.600
371/3	0.024	404	0.140
369/2	0.016	418/1/1	0.194
370/1/1	0.170	418/1/2	0.009
370/1/2	0.162	418/2/1	0.008
390	0.600	418/2/2	0.007
328	0.105	418/3	0.023
329	0.100	418/4	0.023
392	0.793	418/5	0.023
381	0.028	418/6	0.044
380	0.110	418/7	0.044
379	0.036	418/8	0.018
393	0.203	418/9	0.023
424	0.372	422/1/1	0.445
425	0.251	422/1/1/ग	0.180
417	0.255	422/1/1/क/2	0.055
419	0.243	422/1/1/ख/2	0.005
420	0.409	422/1/1/घ	0.029
421	0.024	422/1/2	0.011
412/1	0.200	422/1/3	0.046
410	0.050	422/1/1/ख/3	0.018
413/1/2	0.250	422/1/4	0.018
413/2	0.077	422/1/1/ख/1	0.007
412/2	0.100	423/1अ	0.280
413/1/1	0.317	423/1ब	0.070
414	0.028	423/1ग	0.005
415/2	0.500	423/2	0.114
409	0.020	423/3	0.023
412/3	0.140	436	0.430



(1)	(2)	(1)	(2)
407 में से	0.958	(ग) ग्राम—सहीडा खुर्द	
407 में से	0.056	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—6.26 हेक्टर.	
426	1.007	खसरा	क्षेत्रफल
427	0.518	नम्बर	(हेक्टर में)
428	0.251	(1)	(2)
429	0.271	207	0.14
430	0.028	392	0.07
431	0.178	395	0.40
432/1	0.324	398	0.24
432/2	0.089	399	0.18
433	0.870	460	0.02
434	0.364	461	0.22
435	0.049	462	0.02
438	0.044	467	0.42
439	0.110	469	0.09
342	0.120	471	0.01
योग :	<u>26.290</u>	481	0.25
(2) ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.		491	0.24
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		492	0.02
		500	0.09
		504	0.01
		505	0.09
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		506	0.23
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		507	0.01
		509	0.01
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		510	0.16
शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2011		511	0.11
		524	0.02
प्र. क्र.75-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		525	0.16
अनुसूची		567	0.07
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		568	0.35
(क) जिला—शिवपुरी		569	0.01
(ख) तहसील—नरवर		573	0.16
		574	0.17
		575	0.13
		579	0.13
		580	0.26
		583/2	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
583/3	0.11	106	0.14
584	0.14	105/1	0.01
585	0.09	105/2	0.07
586	0.08	115	0.02
587	0.19	119	0.07
588	0.24	82	0.04
589	0.04	84	0.15
589	0.04	85	0.05
636	0.08	90	0.09
640	0.16	91	0.14
641	0.10	95	0.08
642	0.18	92	0.04
644	0.23	93	0.04
645	0.11	97	0.08
646	0.01	101	1.30
कुल योग : <u>6.26</u>		कुल योग : <u>1.30</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-5, 8 एल एवं 9 एल माइनर के निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी-7 की उपशाखा 7 आर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 81-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—बिल्हारी कलां  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.30 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
104	0.08
107	0.10

प्र. क्र. 87-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—काली पहाड़ी  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—13.45 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
575	0.01
576	0.12
577	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
578	0.13	514	0.21
583	0.14	512	0.02
585	0.02	513	0.15
588/2692	0.28	508	0.15
589/1	0.05	469	0.11
589/2	0.45	470	0.10
1544	0.10	471	0.02
1545	0.07	466	0.11
1555/2	0.12	465/2	0.04
1540/2	0.02	463	0.01
1556	0.06	464	0.25
1557	0.05	458	0.08
1558	0.04	456	0.08
1559	0.22	479	0.04
1616	0.20	480/1	0.08
1619	0.26	480/2	0.04
1620	0.11	482	0.05
1624/1	0.20	490	0.28
1624/2	0.15	497/2	0.12
1626	0.60	498	0.11
1693	0.22	499/1	0.06
1694	0.10	641	0.04
1695	0.02	754	0.13
1542	0.04	753/1	0.05
1541	0.19	751/3	0.21
1538	0.03	765	0.16
1537	0.22	745	0.03
1536	0.26	730	0.04
1534	0.06	732	0.01
1802	0.02	733	0.07
1803	0.19	734	0.03
1796/2	0.05	735	0.14
1796/1	0.03	670	0.15
1795	0.05	671	0.20
523	0.12	676	0.22
524	0.02	675	0.01
522	0.14	680	0.15
521	0.04	681	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
683	0.18	162/1	0.14
687	0.07	161	0.02
387	0.36	176	0.02
395	0.05	175	0.17
399	0.02	173	0.06
375	0.03	136	0.02
400	0.04	177	0.03
401	0.09	178	0.02
403	0.03	कुल योग : <u>13.45</u>	
402	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंध	
367	0.04	दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा एल.एम. 11	
365	0.02	एवं डी-2 शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.	
364	0.03	(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—जिलाधीश	
363	0.02	(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया	
366	0.01	जा सकता है.	
372	0.04	प्र. क्र. 93-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को	
379	0.02	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
497/1	0.10	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
495	0.11	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
496	0.02	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)की धारा 6 के अंतर्गत	
643/1	0.06	इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त	
643/2	0.10	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
749/3	0.35	अनुसूची	
749/1	0.12	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि	
747	0.23	(क) जिला—शिवपुरी	
218	0.24	(ख) तहसील—नरबर	
217	0.32	(ग) ग्राम—रायपहाड़ी	
214	0.24	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.81 हेक्टर.	
142	0.02	खसरा	रकबा
141	0.06	नम्बर	(हेक्टर में)
140	0.07	(1)	(2)
139	0.07	93	0.02
138	0.07	94	0.16
134	0.17	95	0.03
133/1	0.04	96	0.23
133/2	0.04	108	0.01
157/1	0.12	110	0.09
156/1	0.09	111/2	0.11

(1)	(2)	(ग) ग्राम—काली पहाड़ी	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—7.33 हेक्टर.
		खसरा	क्षेत्रफल
		नम्बर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
121	0.03	1741/1	0.02
122	0.26	1741/2	0.20
123	0.25	1747	0.11
125	0.01	1748	0.27
128	0.10	1756/1	0.08
129	0.06	1758	0.45
130	0.15	2577	0.21
131	0.04	2578	0.14
132	0.07	2614	0.09
162	0.01	2615	0.02
163	0.06	2617	0.17
164	0.13	2617	0.17
167	0.05	2622/1	0.18
169	0.06	2623	0.17
170	0.18	2624	0.14
171	0.15	2630	0.12
172	0.14	2631	0.12
173	0.06	2632	0.12
196	0.02	2680	0.24
197	0.24	2499	0.24
198	0.06	2500	0.20
199	0.18	2501	0.22
222	0.26	2503	0.36
226	0.28	2333	0.22
227	0.180	2332	0.16
228	0.06	2328	0.22
235	0.07	2323/2	0.04
कुल योग : <u>3.81</u>		2326	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध		2281	0.16
दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के		2280	0.10
निर्माण कार्य हेतु.		2265	0.10
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-		2264	0.05
अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा		2266	0.04
सकता है.		2268	0.02
क्र. 117-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को		2251	0.10
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		2270	0.08
(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में		2271	0.20
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-			
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के			
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त			
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि			
(क) जिला—शिवपुरी			
(ख) तहसील—नरवर			

(1)	(2)	(1)	(2)
2272	0.08	274	0.06
2229	0.10	275	0.12
2147	0.14	276	0.16
2153	0.13	331	0.11
2228	0.01	336	0.16
2154	0.14	337	0.05
2155	0.22	338	0.17
2196	0.16	341	0.08
2197	0.24	343	0.08
2198	0.12	344	0.17
2190	0.04	345	0.02
2189	0.03		
2188	0.05		
2187	0.03		
2186	0.05		
2185	0.05		
2184	0.04		
2183	0.04		
2182	0.05		
2181	0.05		
2180	0.14		
	कुल योग :		<u>1.31</u>

कुल योग : 7.33

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (महुअर नदी तक) की शाखा नहर एल.एम. 12 एवं 14 के निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**राजकुमार पाठक**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. 135-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर
- (ग) ग्राम—पपरेडू
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.31 हेक्टर.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
273	0.13

क्र. 692-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—मेहंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
85	0.250
	कुल योग : <u>0.250</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—पिपलिया सिहोर तालाब (माधव जलाशय) में छूटे गये सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
धार, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र.1736-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार	
(ख) तहसील—धार	
(ग) ग्राम—कुराड़िया	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.997 हेक्टर.	
सर्वे	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
निजी	
(1)	(2)
346	0.200
347	0.734
348	0.063

योग : 0.997

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं.—फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजनान्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड, धार जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 213-वाचक-प्र.क्र.1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—कवठी (पूरक प्रकरण)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.745 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.200
35/1	0.090
35/2	0.080
35/3	0.080
35/4	0.050
35/5	0.040
37/2, 44	0.405
29	0.385
18	0.280
136/1/3/1, 136/3/3/1	0.220
86/2, 90/2, 95/2	0.260
273/2/2, 274/2/2	0.085
255/7/2, 271/1/क	0.145
271/2/1/1	
240/1/1/1, 240/1/2	0.220
85/1/1	0.205
	योग : <u>2.745</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आई.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी.व्हाय. 16 एवं डी.एम. 73 की माईनरों के निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.